कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

वैशाख–ज्येष्ठ 2078, मई 2021

महामारी से मुनाफे के सौदागर

VOICE OF SELF RELIANT INDIA

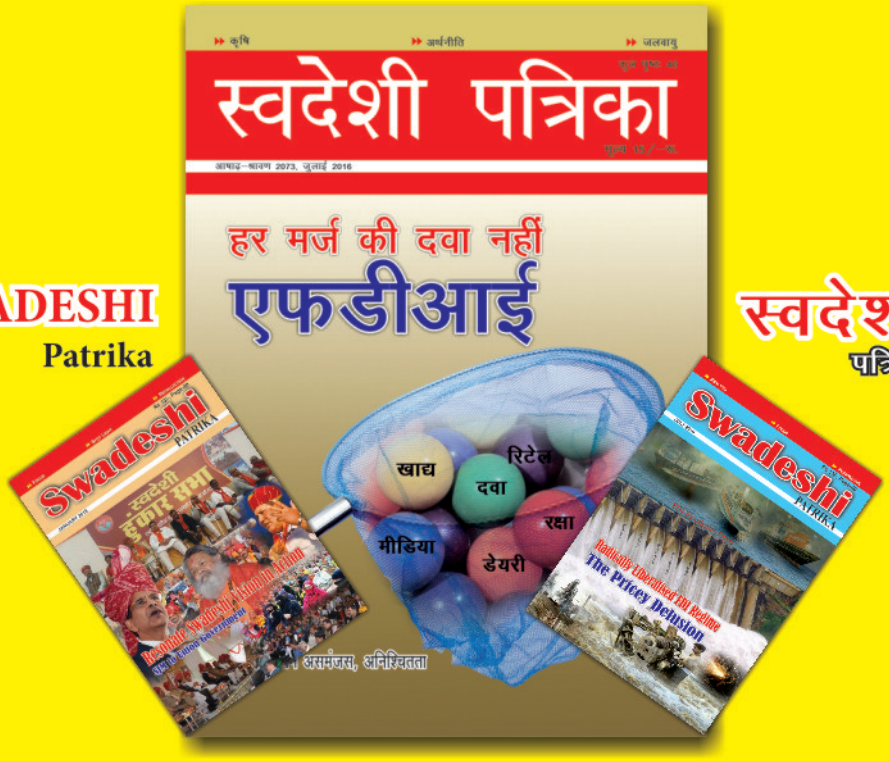

SWADESHI Patrika

स्वदेशी पत्रिका

वार्षिक सदस्यता **(Annual Subscription) :**	**150/-**
आजीवन सदस्यता **(Life Membership) :**	**1500/-**

For subscription please send payment by A/c payee Cheque/Demand Draft/Money Order in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in

Bank of India, *A/c No.* **602510110002740, IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)**

Kindly write your full name and address in capital letters.
If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately or contact **Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)**

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–29, अंक–5
बैशाख–ज्येष्ठ 2078 मई 2021

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 36-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

महामारी से मुनाफे के सौदागर

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 **आवरण कथा**
कोविड से भी खतरनाक पेटेंटधारकों की स्वार्थवृत्ति ..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

11 **कोरोना महामारी**
कोरोना के लिए मोदी को दोषी ठहराने वाले, हकीकत तो जानें! ..... विक्रम उपाध्याय

14 **कोरोना महामारी**
कोरोना की दूसरी लहरः जैविक हमले को परिणाम तो नहीं! ..... अनिल तिवारी

17 **कोरोना महामारी**
देश में कोरोना की समाप्ति एकजुटता से ही सम्भव ..... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

19 **कोरोना महामारी**
नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता से बनेगी बात ..... राणा अजित प्रताप सिंह

21 **कृषि**
कृषि आय बढ़ाने में विफल मुक्त बाजार ..... देविन्दर शर्मा

23 **पर्यावरण**
पर्यावरण बचाइए, जीडीपी बढ़ाइए ..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

25 **जैव विविधता**
अंधाधुंध दोहन से प्रकृति के अस्तित्व पर संकट ..... वैदेही

26 **स्वास्थ्य**
कोरोना से बदली खाने–पीने की आदतें ..... स्वदेशी संवाद

28 **जल प्रबंधन**
कोरोना प्रभावः नदियों में शव प्रवाह ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

30 **वेबीनार**
अनिवार्य लाईसेंस की मांग खैरात नहीं हमारा हक हैः डॉ. महाजन

32 **धरोहर**
क्रांतिकारी विचारों का न्यासी, एक सन्यासी ..... डॉ. फूलचंद

35 **पुस्तक समीक्षा**
धार्मिक पाखंड का विरोधी रहा है नाथ पंथ ..... अभिषेक प्रताप सिंह

पाठकनामा

कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने दी दस्तक

देश अभी कोरोना महामारी से उबरा नहीं, कि एक नई आफत ने दस्तक दे दी है। देश के सामने यह नई आफत ब्लैक फंगस के रूप में सामने आई है। इसे न्यूकर माईकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। सेंटर फार डिजिज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन के मुताबिक यह एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक फंगस इंफेक्शन है, जो मयूकोर माइसेक्स नाम के फफूद की वजह से होता है। यह हमारे फेफेडों और साइनस में पहुंचकर हमला करता है। यह फंगस शरीर में लगे किसी घाव या खूनी चोट के जरिये भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। बताया जाता है कि इस फंगस के कारण लोगों के मस्तिष्क में खतरनाक असर होता है। कई बार आंख की रोशनी जाने का डर भी लगा रहता है। समय पर ईलाज नहीं मिलने की स्थिति में मौत भी हो सकती है।

देश भर में कोरोना के विकराल रूप के बीच ब्लैक फंगस का खतरा डरावना है। देश के अधिकांश हिस्सों से ब्लैक फंगस के मामले प्रकाश में आ रहे है। डाक्टरों का कहना है कि प्रतिरोधक क्षमता कम होने, शुगर लेवल के ज्यादा होने, हेवी स्ट्रॉड लेने तथा आईसीयू में रहकर ईलाज करवाने वाले मरीजों के लिए ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। हालांकि यह फंगस एक इंसान से दूसरे इंसान के संपर्क में आने से नहीं फैलता, लेकिन हवा के जरिये साइंस में प्रवेश कर यह शरीर के भीतरी अंगों को प्रभावित कर सकता है।

एक तरफ देश कोरोना पर विजय पाने की ओर अग्रसर हो रहा है, जैसी सुखद खबर के बीच ब्लैक फंगस का आना कही से भी ठीक नहीं है। हालांकि चिकित्सक कह रहे हैं कि मजबूत इम्यूनिटी के साथ इस फंगस को हराया जा सकता है। लेकिन जरूरी है कि इसके लक्षणों को लेकर सतर्कता बरती जाये। ब्लैक फंगस के लक्षणों में मुख्यतः आंख व नाक के आसपास लालीमा व सूजन के साथ बुखार तथा सिरदर्द रहता है। खांसी और हाफना, खून की उल्टी तथा नाक का बंद होना भी इसके लक्षणों में शामिल है। ऐसे में हमारी सतर्कता ही इससे लड़ने में मददगार साबित होगी।

तरूण दीक्षित, बागपत, उत्तर प्रदेश,

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,

नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हमें घबराना नहीं है। हम चट्टान की तरह खड़े होंगे। हमें पॉजिटिव रहना है और खुद को कोविड निगेटिव रखने के लिए सावधानी बरतनी होगी।

डॉ. मोहन भागवत
(सरसंघचालक, संघ)

भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा मुफ्त वैक्सीन का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। मैं राज्यों से भी आग्रह करता हूं कि जहां तक संभव हो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

करोना महामारी के हंगामे में दवाइयों की कमी, उनकी ऊंची कीमतों और ज्यादा मुनाफाखोरी के पीछे व्यापारियों की जमाखोरी से कहीं ज्यादा वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार का मामला है। अब समय आ गया है कि सरकार भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत अनिवार्य लाइसेंस पर विचार करे ।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

फसल चक्र के रास्ते मिलेगी आत्मनिर्भरता

पिछले कुछ दिनों से किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि सरसों के किसानों को बाजार में हर क्विंटल सरसों के लिए 7000 रू. से 8000 रू. तक का भाव मिल रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्षों में उसे इससे आधा भाव या उससे भी कम मिला करता था। यानी कह सकते हैं कि सरसों के किसान की आमदनी इस साल बढ़ी है। यदि पूरे देश की बात करें तो रेपसीड और सरसों की खेती 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर 1950–51 में होती थी। यह रकबा पिछले 70 वर्षों में बढ़कर 62 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया है, जबकि इस बीच प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार 368 किलो से बढ़कर 1500 किलो तक पहुंच चुकी है। यानी सरसों का रकबा और पैदावार दोनों बढ़े है, लेकिन देश में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग के सामने यह वृद्धि बहुत ही कम है। यही कारण है कि आज भी हम 150 लाख टन से अधिक खाद्य तेलों का आयात करते हैं और हमारा खाद्य तेलों का आयात बिल 2019–20 में 69000 करोड रुपए रहा।

कुछ समय पहले तक तो हमारा देश खाद्य तेलों और दालों दोनों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर हो गया था। हाल ही के वर्षों में इन दोनों के आयात में कमी आई है और देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। समझना होगा कि आयात पर निर्भरता होने का क्या कारण है? और आयात पर निर्भरता अब कम कैसे हो रहे है और उसे और कम कैसे करें? दालों के संबंध में यदि देखें तो हमारा दालों का उत्पादन कई दशकों तक 120 से 140 लाख टन तक सीमित रहा। देश में दालों की बढ़ती मांग के चलते दालों का आयात लगातार बढ़ता रहा और देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रयास दिखाई नहीं दिया। पिछले चार–पांच साल से केंद्र सरकार ने दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना शुरू कर दिया और आयातित दालों की ऊंची कीमतों के चलते किसानों को दाल के उत्पादन में प्रोत्साहन मिला और मात्र चार–पांच वर्षों में ही दाल का उत्पादन 170 लाख टन से बढ़कर 2020–21 में 255.6 लाख टन तक पहुंच गया। अभी भी देश अपनी जरूरत यानी 270 लाख से थोड़ा कम ही दाल का उत्पादन करता है।

अन्य खाद्य तेलों के मुकाबले सरसों के तेल की उपभोक्ता मांग में काफी वृद्धि हुई है, जबकि देश में उसकी आपूर्ति काफी कम है। अकेले पंजाब में ही देखा जाए तो अनुमान है कि वर्तमान प्रति हेक्टेयर पैदावार के आधार पर कुल 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर सरसों की खेती हो, तो पंजाब अपनी सरसों की मांग की पूर्ति कर सकता है। जबकि आज भी मात्र 32 हजार हेक्टेयर भूमि पर ही सरसों की खेती होती है। सरसों के प्रति किसानों की बेरुखी का प्रमुख कारण यह है कि उन्हें सरसों की सही कीमत नहीं मिल पाती और इसलिए वह इस मौसम में गेहूं की खेती करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि गेहूं को वे सरकार को एमएसपी पर भेज सकते हैं। खाद्य तेलों के लिए पहले भारत विदेशों पर निर्भर नहीं था। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्र, सरकारों की अनदेखी, अंधाधुंध आयात, किसानों के प्रबोधन के अभाव आदि कई कारण है, जिसके फलस्वरूप हमारा देश आत्मनिर्भरता से परनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गया।

खाद्य तेलों में हालांकि हाल ही के वर्षों में तिलहनों का उत्पादन बढ़ते हुए 2020–21 में 366 लाख टन होने की संभावना है। हालांकि इसके बावजूद खाद्य तेलों में हमारी निर्भरता विदेशों पर बनी हुई है। चाहे हमारा खाद्य तेलों का आयात वर्ष 2016–17 में 73039 करोड़ रुपए से घटकर 2019–20 में 68558 करोड़ रह गया है। खाद्य तेलों में विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि देश में खाद्यान्न भंडार ऊफान ले रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2020–21 में खाद्यान्न का उत्पादन 305 मिलियन टन पहुँच है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.66 प्रतिशत ज्यादा है। तिलहन का उत्पादन भी इस वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ा है। फिर भी अभी खाद्य तेलों की कमी है। यह स्थिति कहीं न कहीं हमारे खाद्य उत्पादन प्रबंधन पर प्रश्न खड़ा करती है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि फसल चक्र और फसलों के चयन में बदलाव के माध्यम से हम आसानी से परिस्थिति बदल सकते हैं। जिससे देश खाद्य तेलों आदि में आत्मनिर्भर भी होगा, जिसे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा तो बचेगी ही, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

सरकार द्वारा पिछले एक–दो वर्षों में पॉम ऑयल के प्रमुख सप्लायर देश मलेशिया से इसके आयात पर रोक लगाई है। साथ ही साथ पॉम ऑयल पर आयात शुल्क में भी वृद्धि की गई है। लेकिन इन प्रोत्साहनों के साथ–साथ कई अन्य उपाय भी है जिनको अपनाकर हम तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

यदि तिलहन आयातकों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि वह अपने सौदों को एक प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराए, तो ऐसे में सरकार के पास खाद्य तेल के प्रकार, उसके उद्भव, कीमत और आने के समय के बारे में जानकारी आ जाएगी। ऐसे में उन पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

दूसरे आयातकों को अभी बैंकों द्वारा 90 से 150 दिनों तक का क्रेडिट (उधार) दिया जाता है। खाद्य तेल तो 10 से 20 दिन में भारत पहुंच जाता है, लेकिन शेष दिनों में उस उधार के दम पर आयातक सट्टेबाजी आदि करने लगते है, जिससे तेल उपभोक्ता के लिए तो महंगा हो जाता है लेकिन किसानों को कीमत बढ़ने का कोई लाभ नहीं मिलता। यदि यह उधार 30–40 दिन का कर दिया जाये तो तेल की जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगेगा।

महामारी से मुनाफे के सौदागर

आज कोरोना वायरस, जिसे चीनी या वुहान वायरस भी कहा जा रहा है, ने लगभग पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी के कारण मरने वालों की भारी संख्या के कारण इस वायरस से संक्रमित लोगों में ही नहीं, जो लोग संक्रमित नहीं है, उनमें भी खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, महामारी के सामने बौनी पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड, आईसीयू, वेंटीलेटर का तो अभाव है ही, सामान्य स्वास्थ्य उपकरणों जैसे ऑक्सीजन, दवाइयों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि की भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए हैं, लेकिन वर्तमान त्रासदी के समक्ष वे प्रयास बहुत कम है। कम ज्यादा मात्रा में इसी प्रकार की स्थिति का सामना अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, ब्राजील जैसे देश पहले से ही कर चुके हैं या कर रहें हैं।

भारत में भी इस प्रकार की त्रासदी में लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर मुनाफा कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम सुनते हैं कि दवाइयों, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर आदि के विक्रेता ही नहीं, बल्कि अस्पताल भी मुनाफा कमाने की इस होड़ में शामिल हो चुके हैं। जनता के संकट, इस मुनाफाखोरी के कारण कई गुना बढ़ चुके हैं। इन संकटों से समाधान का एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द इन स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता किया जाए और इलाज हेतु साजो–सामान और दवायों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए।

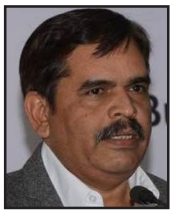

विशेषज्ञों का मानना है कि पेटेंट कानून की धारायें 92 और 100 वैक्सीन हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी करने के लिए उपयुक्त है। सरकार स्वेच्छा (सूओमोटो) से 'राष्ट्रीय आपदा' अथवा 'अत्यधिक तात्कालिकता' के मद्देनजर गैर व्यवसायिक सरकारी उपयोग के लिए इन धाराओं का उपयोग करते हुए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकती है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

जहां तक दवाइयों की कमी, उनकी ऊंची कीमतों और उससे ज्यादा मुनाफाखोरी का सवाल है, उसके पीछे देश के व्यापारियों की जमाखोरी से कहीं ज्यादा वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है। पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनों के कारण दवाइयों और यहां तक कि स्वास्थ्य उपकरणों आदि में भी इन कंपनियों का एकाधिकार स्थापित है। इन कानूनों के चलते इन दवाइयों और उपकरणों का उत्पादन कुछ हाथों में ही केंद्रित रहता है, जिससे इनकी ऊंची कीमतें यह कंपनियां वसूलती है। हाल ही में हमने देखा कि रमदेसिविर नाम के टीके की कीमत 3000 रुपए से 5400 रुपए थी जिसे भारत सरकार ने नियंत्रित तो किया, लेकिन उसके साथ ही उसकी भारी कमी भी हो गई। इसके चलते इन इंजेक्शनों की कालाबाजारी हो रही है और मरीजों से इंजेक्शन के लिए 20 हजार से 50 हजार रू. की कीमत वसूली जा रही है। यही हालत अन्य दवाइयों की है, जिसकी भारी कमी और कालाबाजारी चल रही है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियां इन दवाइयों को बनाने में असमर्थ है, लेकिन चूँकि वैश्विक कंपनियों के पास इन दवाइयों का पेटेंट है, वे अपनी मर्जी से अन्य कंपनियों (भारतीय या विदेशी) को लाइसेंस लेकर इन दवाइयों का उत्पादन करवाती है और इस कारण इन दवाइयों की भारी कीमत वसूली जाती है।

क्या है समाधान?

यह सही है कि इन दवाइयों के पेटेंट इन कंपनियों के पास है लेकिन फिर भी भारत सरकार वर्तमान महामारी से निपटने हेतु प्रयास कर न केवल इन दवाइयों के उत्पादन को

बढ़ा सकती है, बल्कि कीमतों में भी भारी कमी कर लोगों को राहत दे सकती है। गौरतलब है कि पेटेंट से जुड़ी इस प्रकार की समस्या डब्ल्यूटीओ बनने से पहले नहीं थी। देश में सरकार किसी भी दवाई के उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी कर उसके उत्पादन को सुनिश्चित कर सकती थी। इस कारण भारत का दवा उद्योग न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रहा था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन के बनने के साथ ही ट्रिप्स (व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार) समझौता लागू हो गया था। इस समझौते में सदस्य देशों पर यह शर्त लगाई गई थी कि वह पेटेंट समेत अपने सभी बौद्धिक संपदा कानूनों को बदलेंगे और उन्हें सख्त बनाएंगे (यानी पेटेंट धारकों कंपनियों के पक्ष में बनाएंगे)। इस समझौते से पहले भी इसका भारी विरोध हुआ था, क्योंकि यह तय था कि इस समझौते के बाद दवाइयां महंगी होगी और जन स्वास्थ्य पर खतरे में पड़ जाएगा।

ऐसे में जागरूक जन संगठनों और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनेताओं के प्रयासों से विश्व व्यापार संगठन और अमीर मुल्कों के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने पेटेंट कानूनों में संशोधन करते हुए जन स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का काफी हद तक निराकरण कर लिया था। हालांकि प्रक्रिया पेटेंट के स्थान पर उत्पाद पेटेंट लागू किया गया और पेटेंट की अवधि भी 14 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन की छूट पुनःपेटेंट की मनाही, अनिवार्य पेटेंट का प्रावधान, अनुमति पूर्व विरोध आदि कुछ ऐसे प्रावधान भारतीय पेटेंट कानून में रखे गए थे, जिससे काफी हद तक जन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो सका। लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिका समेत अन्य देशों की सरकारों ने भारत पर यह दबाव बनाए रखा कि भारत अपने पेटेंट कानूनों में ढील दे और अपने पास उपलब्ध प्रावधानों का न्यूनतम उपयोग करे।

अनिवार्य लाइसेंस

संशोधित भारतीय पेटेंट अधिनियम (1970) के अध्याय 16 और ट्रिप्स प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है। अनिवार्य लाइसेंस से अभिप्राय है सरकार द्वारा जारी लाइसेंस यानी अनुमति जिसके अनुसार किसी उत्पादक को भी पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंट उत्पादन को बनाने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयों यानी रमदेसिविर और अन्य दवाओं के संदर्भ में यदि सरकार अनिवार्य लाइसेंस जारी कर दे तो भारत का कोई भी फार्मा निर्माता सरकार द्वारा निर्धारित राशि (जो अत्यंत कम होती है) पेटेंट धारक को देकर उन दवाइयों का उत्पादन देश में करके। उनको इस्तेमाल और बेच सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पेटेंट कानून की धारायें 92 और 100 वैक्सीन हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी करने के लिए उपयुक्त है। सरकार स्वेच्छा (सूओमोटो) से 'राष्ट्रीय आपदा' अथवा 'अत्यधिक तात्कालिकता' के मद्देनजर गैर व्यवसायिक सरकारी उपयोग के लिए इन धाराओं का उपयोग करते हुए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकती है।

गौरतलब है कि ये कंपनियां महामारी के बढ़ते प्रकोप से मुनाफा कमाने की फिराक में है और अमेरिका सरीखे देशों की सरकारें इन दवाओं और वैक्सीन की जमाखोरी के माध्यम से विकासशील और गरीब देशों के शोषण की तैयारी कर रही है। हाल ही में भारत में वैक्सीन उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति में अमेरिका सरकार ने अड़ंगा लगाया था और अपने पास जमा की वैक्सीन को भारत समेत दूसरे देशों को भेजने पर रोक लगा दी थी। बाद में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव के कारण उन्हें यह रोक हटानी पड़ी।गिलिर्ड कंपनी द्वारा रमदेसिविर टीके की भारी जमाखोरी के समाचार भी आ रहे हैं। ऐसे में भारत में इन दवाओं और वैक्सीन उत्पादन हेतु अनिवार्य लाइसेंस लागू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

हालांकि भारत सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन में भी ट्रिप्स प्रावधानों में छूट हेतु गुहार लगाई है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों ने उसमें भी अड़ंगा लगा दिया है। ऐसे में सरकार को अपने सार्वभौम अधिकारों का उपयोग करते हुए ये अनिवार्य लाइसेंस तुरंत देने चाहिए, ताकि महामारी से त्रस्त जनता को कंपनियों के शोषण से बचाया जा सके। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बौद्धिक सम्पदा (ट्रिप्स) एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित एक राजनीतिक घोषणा स्वीकृत की गयी जिसमें सरकारों के इस सार्वभौम अधिकार को मान्य किया गया कि किसी भी आपातकाल अथवा अत्यधिक तत्कालिकता की स्थिति में सदस्य देशों को अधिकार है कि वह ट्रिप्स के प्रदत्त बौद्धिक संपदा अधिकारों को दरकिनार करते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। इस घोषणा द्वारा सदस्य देशों को "राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए अनुमति दी गयी है, कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है"। दिनांक 30 अप्रैल 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना से संबंधित दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस लागू करने हेतु सरकार क्यों नहीं सोच रही? ❑❑

कोविड से भी खतरनाक है पेटेंटधारकों की स्वार्थवृत्ति

विश्व में 16.25 करोड़ व भारत में 2.5 करोड स अधिक कोरोना संक्रमित लोग जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। विश्व की शेष जनसंख्या में भी अधिकांश जनता इस प्राणान्तक महामारी के भय से त्रस्त है। कोरोना से मृत 35 लाख लोगों के करोड़ों परिवारीजन गंभीर शोक में निमग्न हैं। लेकिन, इस रोग के उपचार की औषधियों व रोकथाम हेतु उपलब्ध टीकों के पेटेंटधारी उत्पादक अपने स्वार्थवश इन औषधियों की सुलभता के विरूद्ध हृदयहीन बन कर बैठे हैं। यदि ये पेटेंटधारी मौत के सौदागर की भांति अपने एकाधिकार को अक्षुण्ण रखने के स्थान पर इन औषधियों व टीकों की प्रौद्योगिकी, स्वेच्छापूर्वक सर्वसुलभ कर इनकी उत्पादन सामग्री सभी इच्छुक उत्पादकों को सुलभ कर देंगे तो मानवता को इस संत्रास से मुक्ति दी जा सकेगी। इसलिए इन टीकों व औषधियों को पेटेंट मुक्त किया जाना, इनके उत्पादन की प्रौद्योगिकी का निःशुल्क या अल्पतम रॉयल्टी पर हस्तान्तरण और इनके उत्पादन की सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति परम–आवश्यक है।

व्यक्ति का जीने का अधिकार ''सार्वभौम अधिकार'' है और भारतीय संविधान के अंतर्गत ''जीवन का मौलिक'' अधिकार है। इस दष्टि से कोरोना की औषधियों व टीकों की सर्वसुलभता परम–आवश्यक है। इस हेतु इन औषधियों व टीकों के उत्पादन हेतु अनिवार्य अनुज्ञापन, इनकी पेटेंट मुक्ति, उत्पादन सामग्री की पूर्त्ति एवं प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण सुनिश्चित किए जाने जैसे सभी उपाय आवश्यक है।
– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

अन्यायपूर्ण असमानता

अब तक एक अरब में से अधिकांश टीकों का उपयोग धनी देशों ने किया है। अफ्रीका, एशिया व लेटिन अमेरिका के कम आय वाले देशों ने मुश्किल से कोई टीका प्राप्त किया होगा। भारत में भी टीकों व औषधियों के अभाव में अधिकांश जनता भयावह सत्रांस से त्रस्त है। आज 36 देशों में संक्रमण की दर बढ़ रही है। फाइजर का ही इस टीके की मुनाफाखोरी से 7 अरब डालर (52,500 करोड़ रू. तुल्य) लाभ रहने की अपेक्षा है।

इन टीकों के विकस में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन से सहायता दी गयी है। अमेरिका में छः टीका कंपनियों को 12 अरब डालर (रू. 90,000 करोड़ तुल्य) की सार्वजनिक सहायता मिली है। ऑक्सफोर्ड–एस्ट्रा जेनेका का कोविशील्ड व भारत बायोटेक का कोवेक्सिन भी सरकारी सहायता से विकसित हुआ है। ऐसे में यह तर्क देना कि इन टीकों पर इन कंपनियों ने भारी व्यय किया है, इसलिए इनका एकाधिकार आवश्यक है, कितना उचित है?

भारत की मानवोचित पहल को वैश्विक समर्थन

इन औषधियों व टीकों को पेटेंट मुक्त किये जाने के लिए विश्व व्यापर संगठन में भारत व दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। छः माह तक 10 बैठकों में प्रतिरोध के उपरान्त जन दबाव के आगे झुकते हुए अमेरिका व अधिकांश औद्योगिक देशों ने टीकों को पेटेंट मुक्त करने के प्रस्ताव का 5 मई को विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउन्सिल में समर्थन दिया। अब यह प्रस्ताव ट्रिप्स काउन्सिल की 8–9 जून की बैठक में जाएगा। उसके उपरान्त मन्त्री स्तरीय बैठक से अनुमोदन भी अपेक्षित होगा। तब भी केवल टीकों की पेटेंट मुक्ति ही सम्भव हो सकेगी। इनके उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण भी आवश्यक होगा। कोविड की औषधियों व टीकों को पेटेंट मुक्त करने के भारत के प्रस्ताव का 750 सदस्यों की यूरोपीय संसद ने भी समर्थन दिया है, जबकि यूरोप के कुछ राष्ट्राध यक्ष व यूरोपीयन कमीशन ने जी–20 की बैठक में इसका विरोध किया है।

जीने का अधिकार सर्वोपरि

व्यक्ति का जीने का अधिकार ''सार्वभौम अधिकार'' है और भारतीय संविधान के अन्तर्गत ''जीवन का मौलिक'' अधिकार है। इस दृष्टि से कोरोना की औषधियों व टीकों की

सर्वसुलभता परम–आवश्यक है। इस हेतु इन औषधियों व टीकों के उत्पादन हेतु अनिवार्य अनुज्ञापन, इनकी पेटेंट मुक्ति, उत्पादन सामग्री की पूर्त्ति एवं प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण सुनिश्चित किए जाने जैसे सभी उपाय आवश्यक है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इजरायल आदि 5 देशों ने अपनी अधिकांश वयस्क जनसंख्या की टीकाकरण कर इस महामारी को नियंत्रित कर लिया है। अब वहाँ मास्क लगाये रखने की आवश्यकता भी नहीं रह गई है।

प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण की विधिसम्मत अनिवार्यताः

विश्व व्यापार संगठन के 1995 के ''बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर हुए समझौते'' जिसे ''एग्रीमेण्ट आन ट्रेड रिलेटेड इण्टेलेक्चुअल राइट्स'' या 'ट्रिप्स समझौता' कहा जाता है में उसकी धारा 7 में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का वैधानिक प्रावधान है। इसलिए औद्योगिक देशों को प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण करवाने के इस धारा 7 के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। वैसे पेटेण्ट मुक्ति का यह निर्णय टीकों के सन्दर्भ में ही हुआ है। कोरोना की चिकित्सा की औषधियों के उत्पादन को पेटेंट मुक्त नही किए जाने से पेटेण्टधारक से इतर उत्पादकों को इन औषधियों के उत्पादन के लिए 'अनिवार्य अनुज्ञापन' (कम्पल्सरी लाइसेसिंग) एक विकल्प हो सकता है। भारत के पेटेंट अधिनियम की धारा 84,92 व 100 में अनिवार्य अनुज्ञापन के प्रावधान हैं।

अनिवार्य अनुज्ञापनः पेटेंटधारकों के शोषण पर अंकुशः

यकृत व गुर्दे के कैंसर की जर्मन कंपनी 'बायर' का 'नेक्सावर' नामक इंजेक्शन 2,80,000 रूपये का आता था। उसे मात्र 8,8,00 रु. में बेचने का प्रस्ताव कर एक भारतीय कंपनी 'नाट्को' ने भारत के मुख्य पेटेंट नियंत्रक को आवेदन कर कम्पल्सरी लाइसेंस प्राप्त

कोरोना की चिकित्सा की औषधियों के उत्पादन को पेटेंट मुक्त नही किए जाने से पेटेण्टधारक से इतर उत्पादकों को इन औषधियों के उत्पादन के लिए 'अनिवार्य अनुज्ञापन' (कम्पल्सरी लाइसेसिंग) एक विकल्प हो सकता है।

कर लिया। आज नेक्सावर भारत के बाहर 2,80,000 रु. में मिलता है, वहीं भारत में यह उसकी मात्र तीन प्रतिशत कीमत पर मिल जाता है। दुर्भाग्य से इस अनिवार्य अनुज्ञा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर यूरो–अमेरिकी देशों का इतना दबाव आया कि उन नियंत्रक को पद छोड़ना पड़ गया। अभी यह भी गर्व का विषय है कि भारतीय कंपनी 'नाट्को' फार्मा ने पुनः अमेरिकी कंपनी 'एली लिलि' की कोरोना की औषधि 'बेरिसिटिनिब' के समानांतर उत्पादन हेतु अनिवार्य अनुज्ञापन के लिए आवेदन कर दिया है। आशा है शीघ्र ही कोरोना की शेष औषधियों के उत्पादन के लिए कई कंपनियां स्वैच्छिक अनुज्ञापन के लिए आगे आएंगी।

वर्तमान में कम्पल्सरी लाइसेंस आप्रासंगिक

वर्तमान में अनिवार्य अनुज्ञापन या कम्पल्सरी लाइसेंस से कोई समाधान संभव नहीं है। रेमिडोसिविर के लिए 'जी लीड' नामक कंपनी ने भारत में सात कंपनियों को एवं बेटिसिटिनिब के उत्पादन के लिए नाटको फार्मा को स्वैच्छिक अनुज्ञा अर्थात वोलंटरी लाइसेंस दे दिया है। इनको छोडकर किसी औषधि या टीके के समानान्तर उत्पादन के लिए आवेदन ही नहीं किया है। आक्सफॉर्ड–एस्ट्राजेनेका की स्वैच्छिक अनुज्ञा सीरम इन्स्टीटयूट को कोविशील्ड के लिए दिया हुआ है। भारत बायोटेक ने कोवेक्सिन के लिए तीन कंपनियों को स्वैच्छिक अनुज्ञा दे दी है। फाइजर, माडरना व जॉनसन आदि कंपनियों के अभी पेटेंट के लिए भारत में आवेदन ही नहीं किया है। ऐसे में उनके संबंध में कम्पल्सरी लाइसेंस दिया जाना संभन नहीं है। इन कंपनियों ने अभी पेटेंट कोआपरेशन ट्रीटी के अ□ीन ही पेटेंट ले रखा है।

पेटेण्टधारको के शोषण के विरुद्ध पिछला संघर्षः

नब्बे के दशक में यूरो–अमेरिकी कंपनियां एड्स की औषधियों की कीमत इतनी लेती थीं कि भारत से बाहर एक रोगी की वार्षिक चिकित्सा लागत 15,000 डॉलर यानी 10,00,000 रुपये से अधिक आती थी। चूंकि 1995 के पहले भारत में 'प्रोडक्ट पेटेंट' न होकर, केवल 'प्रक्रिया पेटेंट' ही होता था। इसलिए कई भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय पेटेंटधारक की उत्पादन प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया का विकास कर इन्हें बनाती व इतनी कम लागत पर बेचती थीं कि व्यक्ति की चिकित्सा लागत 350–450 डॉलर ही आती थी। इसलिए दक्षिणी अफ्रीका व ब्राजील ने भारत से इन औषधियों के आयात हेतु अनिवार्य अनुज्ञापन के कानून बना लिए। तब अमेरिकी कंपनियों के एक समूह ने दक्षिण अफ्रीकी कानून को ट्रिप्स विरोधी बता कर दक्षिण अफ्रीकी सर्वोच्च न्यायालय में व अमेरिकी सरकार ने ब्राजील के कानून को डब्ल्यूटीओ के विवाद निवारण तंत्र में चुनौती दे डाली। इस पर दक्षिणी अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास के सम्मुख सड़कों पर ऐसा उग्र प्रदर्शन हुआ कि अमेरिकी कंपनियों ने सर्वोच्च न्यायालय से व अमेरिकी सरकार ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निवारण तंत्र से वे मुकदमे वापस ले लिए।

इसके बाद 2001 के विश्व व्यापार संगठन के दोहा के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के पहले दिन ही सभी विकासशील

देशों ने इतने उग्र तेवर दिखाए कि गैर विश्व व्यापार संगठन के पांच दशक के इतिहास में पहली बार सम्मेलन के पहले दिन ही औषधियों के उत्पादन के लिए अनिवार्य अनुज्ञापन का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। इस प्रस्ताव के आधार पर ही भारत के पेटेंट कानून में 2005 में अनिवार्य अनुज्ञापन का प्रावधान धारा 84, 92 व 100 के माध्यम से जोड़ना संभव हुआ। इसी प्रावधान के अधीन नाट्को फार्मा ने कोरोना की औषधि 'बेरिसिटिनिब' के अनिवार्य अनुज्ञापन हेतु आवेदन किया है और शेष औषधियों की भी सर्व सुलभता के लिए भारतीय कंपनियां अनिवार्य अनुज्ञापन हेतु आवेदन की तैयारी में हैं।

रक्त कैन्सर की जेनेरिक औषधिः भारतीय कीर्तिमान

1995 के पूर्व के भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत 1 जनवरी, 1995 के पहले आविष्कृत किसी भी औषधि के पेटेंटधारक के नाम पेटेंट से रक्षित प्रक्रिया को छोड़कर स्व अनुसंधान से विकसित प्रक्रिया से दवा उत्पादन की स्वतंत्रता थी। ट्रिप्स समझौते के कारण ही भारत को यह नियम बदल कर 'प्रोडक्ट पेटेंट' का नियम लागू करना पड़ा था, जिससे 1995 के बाद में आविष्कृत औषधियों के उत्पादन का वह अधिकार भारतीय कंपनियों से छिन गया। इसीलिए 1995 के पहले की हजारों औषधियां भारत में अत्यंत अल्प मूल्य पर सुलभ हैं। इन्हीं के मूल्य भारत को छोड़कर शेष देशों में 10 से 60 गुने तक हैं। रक्त कैंसर की 'ग्लिवेक' नामक 1994 में आविष्कृत औषधि स्विस कंपनी नोवार्टिस 1200 रु. प्रति टेबलेट बेचती थी। इसे भारतीय कंपनियों ने अपनी वैकल्पिक विधियों से उत्पादित कर मात्र 90 रु. में बेचना प्रारंभ कर दिया। आज विश्व के 40 प्रतिशत रक्त कैंसर के रोगी इस औषधि को भारत से आयात करते हैं। इस 'ग्लिवेक' के 1994 के मूल रसायन 'इमेंटीनिब' का एक 'डेरिटवेटिव' विकसित कर 1998 में एक और पेटेंट आवेदन कर दिया। लेकिन भारत ने मूल पेटेंट में मामूली परिवर्तन से पेटेंटों की अवधि पूरी होने पर भी उसके दुरुपयोग को रोकने हेतु पेटेंट अधिनियम की धारा 3 डी में 'इन्क्रीमेंटल' अनुसंधानों को पेटेंट योग्य नहीं माना। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गया पर नोवार्टिस कंपनी हार गई और आज विश्व के रक्त कैंसर के रोगी 1200 रु. के स्थान पर 90 रु. प्रति टेबलेट की दर पर इसे क्रय कर पा रहे हैं।

ट्रिप्स आधारित पेटेंट व्यवस्था अमानवीय

ट्रिप्स आधारित वर्तमान पेटेंट व्यवस्था सर्वथा न्याय विरुद्ध और अमानवीय है। किसी भी आविष्कार के प्रथम आविष्कारक को संपूर्ण विश्व की 740 करोड़ जनसंख्या के विरुद्ध 20 वर्ष के लिए यह एकाधिकार प्रदान कर देना कि वह आविष्कारक इस आविष्कार या औषधि की कुछ भी कीमत ले, यह ठीक नहीं है। इसमें प्रथम आविष्कारक के बाद स्व अनुसंधान से या प्रथम आविष्कारक से तकनीक प्राप्त कर किसी उत्तरवर्ती उत्पादक द्वारा उस औषधि को अत्यंत अल्प कीमत पर आपूर्ति करने की दशा में सभी उत्तरवर्ती उत्पादकों से 5–15 प्रतिशत तक रॉयल्टी भुगतान का प्रावधान किया जा सकता है। वह रॉयल्टी भी तब तक दिलाई जा सकती है जब तक कि उस आविष्कारक को अपनी लागत की दुगुनी या तिगुनी कीमत न प्राप्त हो जाए। लेकिन किसी प्रथम उत्पादक को संपूर्ण विश्व के विरुद्ध ऐसा एकाधिकार देकर पूरे विश्व के असीम शोषण की छूट देना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। विशेषकर जब उसी उत्पाद या औषधि को विश्व में सैकड़ों उत्पादक व अनुसंधानकर्ता मात्र 1–3 प्रतिशत मूल्य या उससे भी कम में सुलभ करा सकें। सिप्रोलोक्सासिन पर बायर कम्पनी की पेटेंट की अवधि समाप्ति के पहले जब वह कम्पनी विश्व भर में एक आधे ग्राम की टेबलेट के 150–300 रू. तक लेती रही है। भारत में तब प्रोडक्ट पेटेंट का नियम न हो कर प्रोसेस पेटेंट का मानवोचित पेटेंट प्रावधान होने से 90 थोक दवा उत्पादक उसे 900 रू. किलो बेचते थे। उनसे सैकड़ो कम्पनियाँ उसे क्रय कर रू0 3–8 में वही आधा ग्राम (500 मिली ग्राम) की टेबलेट बेच लेती थीं। यही स्थिति 1995 के पहले की अधिकांश औषधियों के सम्बन्ध मे थी।

निष्कर्षः कोविड–19 के टीकों व औषधियों के पेटेंट मुक्त होने पर भी इनकी उत्पादन प्रौद्योगिकी व सामग्री की सुलभता परम–आवश्यक है। अन्यथा भारत और विश्व में इनके उत्पादन में तत्पर कम्पनियों को स्व अनुसन्धान से इनके उत्पादन की प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। इसमें विलम्ब होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय व अन्य औषधि उत्पादकों को अनिवार्य अनुज्ञापन के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। इस हेतु भारत में आवेदन पर तत्काल अनिवार्य अनुज्ञापन की पद्धति लागू की जा सकती है या आवेदन पर स्वतः अनिवार्य अनुज्ञापन की भी पद्धति अपनाई जाने की भी पूरी सम्भावना है। लेकिन जब तक किसी कंपनी के पास तकनीक ही नहीं है, तो अनिवार्य अनुज्ञा किसे दी जाये? इसलिए टीकों व कोरोना की सभी औषधियों के द्रुत उत्पादन के लिए सभी पेटेंटधारकों को विश्व भर में स्वेच्छिक अनुज्ञाएँ स्वीकृत कर प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण हेतु प्रेरित या बाध्य किया जाना भी आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक जनदबाव एवं विश्व व्यापार संगठन में भी प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का एक अतिरिक्त प्रस्ताव लाना आवश्यक है। इसके साथ ही इन कम्पनियों पर इस हेतु प्रभावी जनदबाव भी अति आवश्यक है। उससे ये पेटेंटधारी कंपनियां, स्वैच्छिक अनुज्ञा देने, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरित करने और उत्पादन सामग्री सुलभ कराने को बाध्य होगी। ❑❑

कोरोना के लिए मोदी को दोषी ठहराने वाले, हकीकत तो जानें!

देश में कोरोना से हजारों लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों की भारी कमी है। मेडिकल इंस्फ्रास्ट्रर चरमरा गया है और चारों तरफ हाराकिरी का मंजर है। ऐसा तास्सुर मिल रहा है कि देश भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। अदालतें, पत्रकार, समाज के कथित जागरूक लोग और बदहवास जनता की ओर से एक ही आवाज आ रही है। कुछ करो सरकार! यहां अब सरकार कौन है। क्या सरकार का मतलब सिर्फ नरेंद मोदी की सरकार है। या सरकार का मतलब देश के सभी राज्यों से भी है। अफसोस की बात यह है कि कोरोना से होने वाली हर मौत और कोरोना के इंतजाम में हर कोताही के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताने की एक होड़ सी लग गई है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही सक्रिय मोदी विरोधी लोग जिनके चेहरे पहले से ही मोदी दुश्मन के रूप में जाने जाते हैं, बेहद सक्रिय हो गए हैं। देश के कई यूट्यूबर मोदी को ही कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं।

मोटे तौर पर मोदी को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार बताने वाले चार दलीले दे रहे हैं। पहली कि मोदी ने अपना सारा ध्यान चुनाव में लगाया और कोरोना के प्रति सचेत करने वाले सभी आवाजों को नकार दिया। दूसरी दलील यह दी जा रही है कि कोरोना फैलने के बावजूद मोदी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए कोरोना काल में भी कुंभ की इजाजत दे दी। तीसरी दलील यह दी जा रही है कि देश में विकसित कोरोना वैक्सीन को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रखने के बजाए दुनिया को बांटकर अपनी वाहवाही करवाई और चौथी दलील यह कि मोदी ने कोरोना के इंतजाम में उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया, जहां गैर भाजपा सरकार थी।

इन चारों दलीलों की सच्चाई की कसौटी पर कसने के लिए कुछ हिम्मत और कुछ समझ चाहिए। कोरोना ने हमारे देश को नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हमसे ज्यादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में एक ऐसी किवदंती बनी या कुछ हद तक सिद्ध भी हो गयी है कि वह सब कुछ कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। यह बात आम आदमी के मन में घर कर गया है। यदि उसमें देश चूकता है तो लोगों को लगता है कि मोदी ही चूक गए।

– विक्रम उपाध्याय

प्रभावित होने वाले देशों में अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई है। तो क्या इन सभी देशों ने अपने यहां चुनाव बंद कर दिए। पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगा दी या लोगों को त्यौहार या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वंचित कर दिया। नहीं। दुनिया कोरोना से लड़ भी रही है और सरकारें या संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं।

जो लोग यह कहते हैं कि मोदी को कोरोना काल में चुनाव नहीं कराना चाहिए था, उन्हें यह मालूम होना चाहिए था कि हमारे देश में प्रधानमंत्री चुनाव होने या ना होने का फैसला नहीं करते। यह काम चुनाव आयोग का है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल चुनाव में शामिल होने को कोरोना विस्फोट के साथ जोड़ने वाले जरा अखबार पलट कर देखें, 21 जनवरी 2021 को बंगाल चुनाव पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस की ओर से उनके सेकेट्री जनरल पार्थ चटर्जी शामिल हुए और जानते है चुनाव को लेकर उनकी चिंता क्या थी और उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत क्या की? यह कि बंगाल के चुनाव में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को न लगाया जाए। बकौल उनके बीएसएफ के लोग उनके मतदाताओं को धमका रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। उस बैठक में किसी ने भी नहीं कहा कि चुनाव इस समय नहीं होना चाहिए क्योंकि देश में कोरोना फैलने का खतरा है। क्या भाजपा को अकेले चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। यही नहीं चुनाव के बीच में 15 अप्रैल को फिर से चुनाव आयोग ने कोविड को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई और नियमों के पालन के प्रति चेताया। क्या कोई यह दावा कर सकता है कि

पूरे विश्व में कोरोना भी फैला और पूरे विश्व में चुनाव भी होते रहे। 2020–21 के दौरान अफ्रीका में इजिप्ट, तंजानिया और नाइजीरिया समेत 19 देशों में चुनाव हुए। एशिया में भारत ही नहीं दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, और मलेशिया समेत 21 देशों में चुनाव कराए गए।

15 अप्रैल के बाद ममता बनर्जी या उनके समर्थकों ने रैलियां रोक दी, रोड शो बंद कर दिया या कोविड नियमों का पालन किया।

जो लोग चुनाव को कोरोना से जोड़ रहे हैं उन्हें यह जानने की जरूरत है कि पूरे विश्व में कोरोना भी फैला और पूरे विश्व में चुनाव भी होते रहे। 2020–21 के दौरान अफ्रीका में इजिप्ट, तंजानिया और नाइजीरिया समेत 19 देशों में चुनाव हुए। एशिया में भारत ही नहीं दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, और मलेशिया समेत 21 देशों में चुनाव कराए गए। हमारे पड़ौस पाकिस्तान में पिछले तीन महीने में सात बाई इलेक्शन हुए। यूरोप में ग्रीक, आयरलैंड, फ्रांस, इटली, और इंग्लैंड समेत 25 देशों में चुनाव संपन्न हुए। पूरी दुनिया के लिए मायने रखने वाले यूएस प्रेसेडिंशियल इलेक्शन भी इसी कोरोना काल में आयोजित कराया गया। इन सभी देशों में भी कोरोना ने कोहराम मचाया। क्या किसी ने कहा कि यूरोप में मौत के लिए इटली, फ्रास या इंग्लैड के राष्ट्राध्यक्ष जिम्मेदार हैं। यूरोप के सभी देशों को मिला ले वहां 29 अप्रैल तक कोरोना से 678653 लोगों की मौत हुई है। अकेले अमेरिका में 5,77,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।

अब बात करते हैं कि मोदी का कथित हिंदुत्व और कोरोना से हुई मृत्यु के बीच संबंध की सच्चाई का। अनुमान लगाया जा रहा है कि हरिद्वार कुंभ में लगभग डेढ़ करोड़ लोग आए। इसके पहले 2019 में इलाहाबाद में जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें आने वालों की संख्या 24 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त 10 लाख से अधिक विदेशी सैलानी भी वहां आए थे। जाहिर है कि हरिद्वार कुंभ में आने वालों की संख्या सीमित रखने की कोशिश की गई। इस बात की पूरी कोशिश भी की गई कि यहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी हो। लेकिन यह कम अफसोस की बात नहीं कि उसके बाद भी हजारों लोग कोरोना संक्रमित हुए उनमें से काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन कोई बताए कि किस देश ने अपने यहां धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगा दी। मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र मक्का मदीना अक्टूबर 2020 से खोल दिया गया है, जबकि वहां लगभग 7000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। ईसाईयों के लिए वेटिकन सिटी का चर्च फरवरी 2021 से खोल दिया गया है। न्यू इयर की विशेष पार्टियां पूरे आस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। नेपाल, पाकिस्तान और वर्मा में हजारों लाखों लोग सड़कों पर विरोध में उतरे। वहां भी कोविड से मौते हुई। लेकिन उसके लिए क्या वहां के सत्ता प्रमुख को दोषी ठहराया गया। या उनसे इस्तीफा मांगा गया।

पूरे विश्व में 195 देश हैं, लेकिन उनमें से दस ही ऐसे देश हैं जिन्होंने कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन को इजाद किया। भारत उन इक्के–दुक्के देश में शामिल है, जिनके यहां विकसित वैक्सीन को दुनिया में उत्तम वैक्सीन का दर्जा दिया गया। यहां तक अमेरिका के

लैब ने भी भारतीय वैक्सीन को सराहा और उसे पूरी तरह कारगर भी बताया। भले ही हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को विकसित किया हो, लेकिन उनको भरपूर प्रेरणा, हर तरह की सहायता और सुविधा तथा वैक्सीन को हर व्यक्ति के पास पहुंचाने की ललक और पीड़ा प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और किसी में नहीं दिखी। जिस समय हमारे वैक्सीन बाजार में पहुंचे तब तक कोरोना का प्रकोप थोड़ा थम चुका था। डब्लूएचओ और विश्व बिरादरी की अपील और भारत की क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन पड़ोंसी मुल्कों के साथ दुनिया के कई और देशों को उपलब्ध कराया। आज उसी का परिणाम है कि मुसीबत के समय दुनिया के तमाम देश भारत की ओर सहायता लेकर दौड़ रहे हैं। भारत की क्षमता और दक्षता पर पूरी दुनिया को भरोसा है और इसे कायम भले ही नहीं किया हो मोदी ने लेकिन भरोसा बढ़ाया जरूर है। इसलिए यह कहना कि मोदी ने दुनिया के कुछ देशों को वैक्सीन देकर देश की जनता को नुकसान पहुंचाया सही नहीं है। यह वसुधैव कुटुंबकम के भारत के सिद्धांत के खिलाफ भी है। आज भारत को दुनिया के अन्य देश में विकसित दूसरे वैक्सीन भी उपलब्ध हो पा रहा है तो इसलिए कि भारत ने विश्व को अपना परिवार माना है और उनके लिए किया है।

इस बार भारत में कोरोना की लहर केरल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तरफ से आई। फरवरी के दूसरे सप्ताह में केंद्र ने केरल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर को पत्र लिखकर आगाह किया कि वहां कोरोना के मामले औसत से अधिक आ रहे हैं, इसलिए रैपिड एंटीजेन और आरटी पीसीआर के टेस्ट में तेजी लाएं। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को यह भी कहा कि जहां भी कोरोना के केस ज्यादा मिले वहां कठोर, विस्तृत निगरानी रखें। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कड़े नियमों के साथ कंटेनमेंट जोन बनाए। 21 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के कुल एक्टिव केस के 74 प्रतिशत मामले केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। क्या यह कहें कि महाराष्ट्र, केरल या छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरे देश में कोरोना फैलाने में कोई योगदान किया।

नहीं, यह कोरोना अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। इससे लड़ने की कोशिश हो रही है। इससे अभी कोई भी देश पार नहीं पाया है। यदि किसी एक के वश में होता तो पूरी दुनिया इसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ी नहीं हुई होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में एक ऐसी किवदंती बनी या कुछ हद तक सिद्ध भी हो गया है कि वह सब कुछ कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। यह बात आम आदमी के मन में घर कर गया है। यदि उसमें देश चूकता है तो लोगों को लगता है कि मोदी ही चूक गए। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

चीन की चाल दुनिया बेहाल

कोरोना की दूसरी लहर

जैविक हमले को परिणाम तो नहीं!

कोरोना महामारी की पहली लहर पर कमोबेश नियंत्रण हासिल कर चुके भारत पर दूसरी लहर का कहर सब पर भारी पड़ रहा है। मार्च के अंत तक आते–आते कोरोना ने अपनी काया बदलकर जोरदार हमला किया। अलग–अलग मरीजों में अलग–अलग लक्षणों के साथ घुसा यह वायरस पकड़ में नहीं आ रहा था। अप्रैल आते–आते इसने प्राणघातक रूप अख्तियार कर लिया। हमारा स्वास्थ्य तंत्र चरमरा उठा। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पर भटकने लगे। इस वायरस ने हमें स्पष्ट रूप से चेताया है कि आजादी के बाद से चली आ रही स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कोरोना जैसे दुश्मन से नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन लगे हाथों यह भी प्रश्न किया जा रहा है कि कोरोना की यह दूसरी लहर किसी जैविक हमले का परिणाम तो नहीं, अगर इसका उत्तर 'हां' में है, तो हमें और अधिक सचेत होते हुए अपने स्वास्थ्य ढांचे को इस अनुरूप भी विकसित करना होगा।

जैविक हथियार के जनक फ्रांसिस वाइन ने भी माना है कि कोरोना वायरस दरअसल एक घातक जैविक शस्त्र है, जिसका निर्माण डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हुआ है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त फ्रेंच वैज्ञानिक लूक माउंटेइनर ने भी एक साक्षात्कार में कहा था कि सोर्स कोड टू वायरस यानी कोविड–19वी पर काम कर रही चीन की टीम द्वारा वुहान के लैब में यह बना है। अब हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हाथ लगे खुफिया दस्तावेजों से यह पता चल रहा है कि चीन पिछले 6–7 सालों से कोरोना वायरस के जरिए तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने की तैयारी में था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 'जैविक हथियार और उसके रोकथाम' विषय पर शोध करने वाले कई छात्रों के मन में भी कोरोना के जैविक शस्त्र होने से जुड़े सवाल हैं। उनका कहना है कि अचानक ऐसे घातक अनजाने वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में कैसे फैला? चीन के वुहान से निकला यह वायरस यूरोप, अमेरिका, भारत पहुंच गया, पर चीन के दूसरे प्रांतों में इसका प्रकोप क्यों नहीं हुआ? चीन ने अपने यहां आने वाली सभी लाइट्स रोक दी, पर चीन से बाहर जाने वाली लाइट क्यों नहीं रोकी? चीन ने न सिर्फ कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां छिपा दी, बल्कि चीन उन लोगों को भी सामने नहीं आने दिया, जो शुरू में ही इस महामारी के बारे में कुछ सूचनाएं साझा करना चाह रहे थे। आधिकारिक तौर पर यह भी जानकारी मिली है कि चीन ने अपने

जैविक शस्त्र संपूर्ण मानवता के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ये न तो दिखाई देते हैं और न ही इनका तात्कालिक इलाज उपलब्ध होता है। वस्तुतः घातक बीमारी पैदा करने वाले जैविक माध्यम होते हैं, जिनका प्रयोग हथियार के रूप में किया जाता है।

– अनिल तिवारी

यहां कोविड–19 से होने वाली मौतों का न सिर्फ आंकड़ा छुपाया, बल्कि इस बारे में जानकारियां और चेतावनी देने वाले डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सजा भी दी है।

यूं तो जब से कोरोना आया है दुनिया भर में इसे लेकर जितने मुंह उतनी बातें होती रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यही बताया गया कि चीन के वुहान में जन्मा यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में किसी अन्य जानवर के माध्यम से आया होगा। इस तथ्य तक पहुंचने के लिए दुनिया की सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने चीन के वैज्ञानिकों के साथ इस महामारी के प्रकाश में आने के शुरुआती दौर में महामारी का केंद्र बने वुहान में करीब 4 हते का समय बिताया था। डब्ल्यूएचओ ने भले ही वुहान की लैब से कोरोना वायरस के निकलने की कहानी को खारिज नहीं किया, लेकिन इस संभावना को अपने स्तर से कभी भी खास महत्व नहीं दिया। इसके बावजूद चीन को लेकर पश्चिमी देशों का संदेह सदैव बना रहा। खासकर अमेरिका के रडार इस मामले को लेकर चीन की ओर लगातार नजर बनाए रखें, यहां तक कि अमेरिकी चुनाव में भी यह मुद्दा बना। ट्रंप सीधे–सीधे इसे चीनी वायरस की संज्ञा देते रहे। चीन भी एशियाई विरोध की आड़ लेकर सवालों से लगभग बचता रहा है। बितते समय के साथ चीन की लैब से निकले वायरस की थ्योरी 'आयी बात गई' बात तक पहुंच गई, लेकिन जो निकलकर सामने आया है उससे यह स्पष्ट होने लगा है कि भारत, अमेरिका सहित यूरोप के अन्य देशों की शंका निराधार नहीं थी। आस्ट्रेलिया से आए नए संकेतों ने इस शंका को और अधिक पुख्ता कर दिया है। हालांकि हालिया सबूतों का स्रोत भी पहले की ही तरह अमेरिकी ही है, लेकिन 'पुरानी शंकाओं के बरक्स नई जानकारी' कुछ अधिक ठोस और विश्वसनीयता वाली लगती है। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हाथ लगे कुछ चीनी खुफिया दस्तावेजों को आधार बनाते हुए संदेह जताया है कि वर्ष 2019 में दुनिया के समक्ष महामारी बनकर आया कोरोना वायरस दरअसल चीन का एक जैविक हथियार है, जिसे बनाने की तैयारी चीन ने 2014 में ही कर ली थी और अगले साल यानी 2015 से ही इस पर काम शुरू कर दिया था। इन बातों के प्रमाण चीनी दस्तावेजों को डिकोड करने पर मिले हैं। दस्तावेज बताते हैं कि चीन अपनी ओर से तीसरे विश्वयुद्ध की तैयारी में है और इस युद्ध के लिए चीन पारंपरिक हथियारों के बजाय लड़ाई को जैविक हथियारों से जीतने का एक ब्लूप्रिंट भी बना रखा है।

हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। बीते वर्षों में दुनिया के कई देशों में चीन को लेकर इस तरह की चर्चाएं समय–समय पर होती रही है। अमेरिका तो विशेषतौर पर इसे आगे रखकर दुनिया को आगाह करता रहा है कि चीन गड़बड़ियां फैला रहा है। भारत में भी चीन को लेकर सतर्क बातचीत चलती रही है, लेकिन चीन के खतरनाक मंसूबों वाली इस तरह की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई है। यह आस्ट्रेलियाई अखबार में छपी खबर जिसमें कि अमेरिकी अधिकारियों के अधिकारिक बयान को आधार बनाया गया है, पर बाइडन सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण न देकर यही संकेत दिया गया है कि इस खुलासे पर एक तरह से उसकी मौन स्वी.ति है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने इस खबर को खारिज किया है तथा कहा है कि उसे ऐसी किसी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीन के सरकारी अखबार 'पीपुल्स डेली' में चीन के अधिकारियों ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे खारिज किया है तथा इसे पूरी तरह बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहा है। लेकिन इस खबर के उजागर होने के बाद उस आग को एक बार फिर हवा मिल गई है, जिसकी आंच में पूरी दुनिया दशकों से अंदर ही अंदर सुलगती रही है। इस खुलासे पर यकीन करने का एक कारण चीन के मशहूर वैज्ञानिक और महामारी विशेषज्ञ 'ली येन' द्वारा दी गई जानकारी भी है। उनके मुताबिक अमेरिकी गुप्तचर विभाग द्वारा दी गई एक–एक जानकारी 'सौलह आने' सच है। येन के मुताबिक चीन तीसरे विश्वयुद्ध की तैयारी में जुटा है और कोरोना वायरस उसकी सेना पीएलए (पीपुल लिबरेशन आर्मी) की लैब से ही निकला हुआ एक जैविक हथियार है। येन का यह भी दावा है कि साल 2019 में वुहान के लैब से कोरोना लिक नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने इसका बकायदा वहां ट्रायल किया था और जब ट्रायल के दौरान वुहान में कोरोना का वायरस बेलगाम हो गया तो वहां के हालात बहुत ही खराब हो गए थे।

कोरोना वायरस के जैविक हथियार होने का दावा कई पैमानों पर सच लगने लगता है, क्योंकि इसके बारे में चीन की सरकार को सब कुछ पहले से पता रहा होगा, इसलिए चीन ने इस पर तुरंत काबू कर लिया। चीन की सेना का लक्ष्य रहा होगा कि इस वायरस के जरिए दुनिया के अन्य देशों की स्वास्थ्य सेवाओं का नुकसान पहुंचाकर और अर्थव्यवस्था को तहस–नहस कर उन देशों को घुटने पर लाया जा सकता है। अब जबकि कोरोना के साए में डेढ़ साल होने को है तो दुनिया भर में संक्रमण का कहर जारी है तथा आवश्यक सुई दवाई भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन काफी हद तक अपने मंसूबे में सफल रहा है।

ज्ञात हो कि कुछ गिने–चुने देशों को छोड़कर चीन दुनिया के सभी देशों को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने

वाले दो प्रमुख देश हैं – भारत और अमेरिका। बेशक यह दोनों देश चीन की तरह आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिने जाते हैं लेकिन केवल इन्ही दो तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है, महज संजोग है। कोरोना ने भारत और अमेरिका में बड़ा नुकसान पहुंचाया है, अन्य देशों की तुलना में इन दोनों देशों में जनधन की अधिक हानि हुई है। लाखों नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जो लोग संक्रमण से उबर रहे हैं, उन्हें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक हालात भी असमंजस में फंसे है। लेकिन इसके ठीक उलट चीन जिसकी आबादी दुनिया में सबसे अधिक है वहां की अर्थव्यवस्था चौकाने वाली चमक–दमक के साथ अपने पुराने यानी कोरोना काल के पहले वाली ऊंचाई पर पहुंच चुकी है।

गत वर्ष बेहद खराब शुरुआत के बावजूद चीन अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने वाला एकमात्र देश रहा था। 2021 की पहली तिमाही आते–आते अचानक चीन में सब कुछ बदल गया। चीन ने 1992 के बाद अर्थव्यवस्था में ऊंची छलांग लगाते हुए पिछले साल की तुलना में 18.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल कर ली है। ऐसे में सवाल है कि अगर अर्थव्यवस्था की ऊंचाई उसकी मेहनत का नतीजा है तब तो उसे बहुत पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाना चाहिए था, लेकिन कई एक चीनी वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पत्रकारों और नागरिकों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए कोरोना के प्रसार को लेकर कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दुनिया के अन्य देशों के साथ साझा की हैं, जो चीन की चालबाजियों से पर्दा हटाती है। चीन को एक खलनायक की तरह देखने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे तमाम वैश्विक संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मानवता को बचाने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सामने आए तथा ठोस कदम उठाएं।

जैविक शस्त्र संपूर्ण मानवता के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ये न तो दिखाई देते हैं और न ही इनका तात्कालिक इलाज उपलब्ध होता है। वस्तुतः घातक बीमारी पैदा करने वाले जैविक माध्यम होते हैं, जिनका प्रयोग हथियार के रूप में किया जाता है।

इतिहास बताता है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इनके प्रयोग की कोशिशें हुई थी। हैजा, चेचक, प्लेग जैसी बीमारियों का प्रयोग चुपके–चुपके जैविक शास्त्र के रूप में किया गया, पर इनसे होने वाले नुकसान के मद्देनजर साल 1972 में बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपंस कन्वेंशन लाया गया जिसका अनुमोदन दुनिया के अधिकांश देशों ने किया था। तब कहा गया था कि जैविक शस्त्र न सीमा देखते हैं न राष्ट्रीयता, वह तो बस तबाही मचाते हैं। इनका निर्माण सरल है तथा यह प्रसलित सामान्य शस्त्रों की तुलना में यह बहुत सस्ते होते हैं। इसके साथ समस्या यह भी है कि जब तक कोई आगे आकर यह सूचित न करें कि अमुक महामारी दरअसल उस देश या संगठन द्वारा किया गया जैविक हमला है, तब तक पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में कोई प्राकृतिक महामारी फैली है या कोई जैविक हमला हुआ है। फैलने के बाद इन्हें रोक पाना असंभव हो जाता है। तुरंत वैक्सीन या अन्य इलाज न होने के कारण यह जल्द ही भयावह रूप धारण कर लेते हैं।

इन सभी प्रश्नों को एक साथ जोड़कर देखें तो कई बार लगता है कि भारत के हाल के वर्षों में बढ़ते कद, कूटनीतिक सफलता और आंतरिक प्रगति को रोकने के लिए जैविक हमले के रूप में तो नहीं किया गया। अगर इसका उत्तर 'हां' में मिलता है तो हमें सजग सार्थक और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

देश में कोरोना की समाप्ति एकजुटता से ही सम्भव

सभी राजनीतिक दल, किसान व मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन इत्यादि एकजुट होकर द्वितीय लहर से लड़े और फिर ततीय लहर से लड़ने के लिए तैयारियों को पूर्ण करें। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विपदा से भारत एक नयी संस्कति व परम्परा के साथ आर्थिक उत्थान के साथ उभरेगा।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

भारत की अपनी संस्कृति है कि जब कोई भी मुसीबत व आपदा आती है तो देशवासी सभी स्तरों पर एकजुटता के साथ मिलकर उसका सामना करते है। यही देश के लोगों की परम्परा है। अलग अलग परम्परा, भाषा, जाति, धर्म, मजहब आदि सभी दिखावटी ही साबित हो जाते है। समय समय पर सभी भारतवासी एक होकर न केवल मुसीबत व संकट का सामना करते है बल्कि उससे एक नई परम्परा व संस्कृति भी जन्म लेती है। इससे भारतवासियों का जीवन मुसीबत के अवसर में भी जीवटता प्राप्त कर लेता है।

भारत में नवम्बर–दिसम्बर 2019 से आये कोरोना की इस समस्या की द्वितीय लहर का दौर चल रहा है तथा देशी व विदेशी विशेषज्ञ अब आगामी कुछ समय में ही तृतीय लहर की भी आने की आशंका जता रहे है। राज्यो के उच्च व देश की उच्चतम न्यायालय भी जागरुक होकर राज्य व देश की सरकार से पूछ रहा है कि सरकार तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी कर रही है। सरकार ने लोकतांत्रित परम्परा का संवैधानिक कर्तव्य पूर्ण कर देश में विभिन्न छोटे व बड़े राज्यों में विधानसभा व पंचायत के आम चुनाव करवायें। वरना तो केन्द्र सरकार बड़ी आसानी से कोरोना को लेकर देश के राज्यो का कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर इन राज्यों में छः महीने तक के लिए बड़ी आसानी से चुनाव टाल सकती थी। इसी प्रकार गांवों में पंचायत चुनाव भी टाले जा सकते थे। परन्तु उसने यह बहाना नहीं बनाया और कोरोना से मुकाबला करते करते चुनाव भी समय पर सम्पन्न करवाये और वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें स्थापित की गई।

देश के कुछ बुद्धिजीवी कोरोना की तृतीय लहर आने का प्रसार व प्रचार कर लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे है परन्तु भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। उससे भी देश के लोगों की एकजुटता के साथ भली प्रकार से मुकाबला किया जायेगा। तृतीय लहर से ड़रने की नहीं बल्कि मुकाबले करने की आवश्यकता है।

इस समय देश भर में मरीज व उनके तीमारदार अस्पताल व अन्य सेन्टरों में परेशानी महसूस कर रहे है परन्तु वे केन्द्र व राज्य सरकारों की मजबूरी भी समझ रहे है। बहुत से तीमारदार आक्सीजन का प्रबंध स्वंय के स्तर पर कर रहे है। अब देशवासी मनोवैज्ञानिक रुप से भी कोरोना की तृतीय लहर से लड़ने की तैयारी कर चुके है। टीका लगवाने की लम्बी लम्बी पंक्तियां देखी जा रही है। देश के सभी हिस्सों में लोग मास्क लगा कर दूर दूर रह कर घूम रहे है। अधिकतर राज्यों में पुलिस को लाकड़ॉउन में पहले की तुलना में अब कम मेहनत करनी पड़ रही है। इस प्रकार के जन जन के सहयोग से लोगों का हौसला बढ़ रहा है तथा वे दुगुनी तैयारी के साथ कोरोना से मुकाबले को तैयार हो गये है। उनके साथ सभी

राज्य सरकारें व केन्द्र सरकार भी है।

गत वर्ष लाकड़ॉउन लागू हुआ था तो लोग मनोवैज्ञानिक रुप से तैयार नहीं थे। सरकार ने अचानक लाकड़ॉउन लगाने की घोषणा कर दी थी जिससे लोगों को लाकडॉउन का अनुभव भी नहीं था तो अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा था परन्तु अब लोग लाकड़ॉउन में सहयोग देते हुए स्वंय ही अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर रहे है। विभिन्न संगठनों की ओर से पूर्ण लाकडॉउन लगाने की मांग उठाई जा रही है। अब लोग यह अच्छी तरह से समझ गये है कि जान है तो जहान है। अब लोग मूंह पर मास्क लगा रहे है, कोरोना से बचने के लिए पुलिस से बचने के लिए नहीं।

यह कटु सत्य है कि यह समझदारी हम सभी पहले दिखाते तो आज हालात विकट नहीं होते। सभी सरकारों को तैयारी बेहतर करनी चाहिए थी। लोगों को भी सरकारों से अच्छे ईलाज के लिए अच्छे अस्पतालों की मांग करनी चाहिए थी परन्तु वे जाति, धर्म व मजहब के नाम पर आपसी वैमनस्यता की बीज ही बोते रहे थे। अब इस महामारी से शिक्षा व सबक ग्रहण करके सरकार के प्रति लोगों की प्राथमिकताऐं एकदम से बदल गई है। कोरोना कर दूसरी लहर की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी क्योंकि लोगों में कोरोना के दुष्परिणाम के लिए जागरुकता से भी मृतकों की संख्या गत वर्ष की तुलना में बढ़ी है। परन्तु लोग सरकारों के द्वारा उपलब्ध करायी गयी कोरोना की गाइड़ लाईन को ढ़ंग से स्वंय के ऊपर लागू नहीं किया था। लापरवाही इस कदर है कि लोग लाकड़ॉउन में बिना काम के सड़कों पर इधर उधर घूम रहे है। जुर्माने से बचने के लिए चौराहों पर आकर पुलिस की चेकिंग के समय मास्क लगा रहे है। उसके उपरान्त मास्क को नाक व मूंह से नीचे कर लेते है। प्रशासन लगातार लोगों को जागरुक करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। दूसरी लहर की भयावह स्थिति से देश के स्वास्थ्य तंत्र की पोल खुल गई है कि हम इस लहर का अनुमान नहीं लगा पाये, दूसरे हम उससे बचने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाये तथा तीसरे अब उससे प्रभावी ढ़ंग से निपट नहीं पा रहे है।

कुछ बातें हमारे नियन्त्रण में होती है और कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। परन्तु जो बातें हमारें नियंत्रण में होती है। उनमें अकर्मण्यता एकदम से अक्षम्य होती है। कोरोना से लड़ने की तैयारी हम सभी को मिल कर करनी चाहिए थी बिना किसी राजनीतिक सोच विचार करके। सत्ता व विपक्ष के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आम जनता की सेवा के लिए सामने आ जाना चाहिए था परन्तु उसमें हमारे संसाधनों से अधिक संकीर्ण राजनीतिक सोच बाध ाक बन रही है। जैसे कि कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने से कोरोनारोधी टीका एक ढाल का काम करता है।

परन्तु कुछ राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने टीकाकरण को भी राजनीतिक दल से जोड़ कर देखा और अपने दल के कार्यकर्ताओं को टीका लगवाने के लिए प्रेरित नहीं किया। लोग कोरोना का नीम हकीम से ईलाज करवा कर ठीक न होने पर अन्तिम अवस्था में अस्पताल की ओर भागे जिससे स्थिति खराब हो गई है। तीन अस्थायी उपाय मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर व स्थायी उपाय टीकाकरण व कुछ दवाऐं सब कुछ जरुरी है। टीकाकरण को लेकर न तो भ्रम की स्थिति होनी चाहिए और न ही कोई हिचक होनी चाहिए। टीकाकरण के मूल्यों को लेकर बिना वजह की राजनीति विभिन्न दलों के द्वारा की जा रही है। लोगों का बचाव ही सर्वोपरि होना चाहिए था।

राजनीतिक वर्ग को कोरोना की द्वितीय लहर से मुकाबला मिल कर करना चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा उठाये गये कदमों में एकरुपता लानी चाहिए उन्हें आपस में न लड़ कर कोरोना से लड़ने का एक लक्षीय उपाय करना चाहिए। तंज कसने के बजाय उपाय सुझाने चाहिए। हालांकि ऐसे राजनेता दूसरे राजनेताओं के द्वारा अलग थलग कर दिये गये (हेमंत सोरेन प्रकरण)। कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा भी दैनिक रुप से तंज कसे जाते रहते है। राहुल गांधी मात्र यह बताने में अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे है कि प्रधानमंत्री निष्क्रिय व नाकाम है। राहुल गांधी कोरोना से निपटने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं सुझा रहे है। राहुल गांधी कोरोना की समस्या व उससे उत्पन्न अन्य समस्याओं के समाधान में सहभागी न बनने का ही सोच रख रहे हें, वे मात्र ट्वीट व चिठठी युद्ध ही कर रहे है। बेतुकी मांग करने से बिमारी को बढ़ावा ही मिलता है। यदि कोरोना सकंट गहराता है तो उससे सुख नहीं मिलना चाहिए। अब राजनीतिक वर्ग को एकजुट होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए परन्तु वह आरोप प्रत्यारोप में उलझा हुआ है। न्यायालय भी सरकारों व प्रशासन को फटकारने में लगी हुई है। मार्गदर्शक सुझाव वे नहीं दे रहीं है। मौके की नजाकत को समझते हुए अब पूर्व से अधिक एकजुटता की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दल, किसान व मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन इत्यादि एकजुट होकर द्वितीय लहर से लड़े और फिर तृतीय लहर से लड़ने के लिए तैयारियों को पूर्ण करें। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विपदा से भारत एक नयी संस्कृति व परम्परा के साथ आर्थिक उत्थान के साथ उभरेगा। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता से बनेगी बात

कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर होने के समाचारों के बीच सुखद खबर है कि देश में 2 करोड़ से अधिक कोरोना संक्रमित देशवासी कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। कोरोना पर विजय पाने वाले लोगों का यह आंकड़ा अमेरिका के बाद दुनिया के देशों में सबसे अधिक है। वर्तमान में संक्रमण दर में हम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, तो वहीं मौत के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद हम तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि इस बीमारी से अब तक 2 लाख 90 हजार लोगों ने दम तोड़ दिया है, लेकिन 2 करोड़ से अधिक लोगों ने बीमारी से लड़कर जिंदगी की जंग जीत ली है। ऐसे में आज यह आवश्यक है कि मौत के कुछ आंकड़ों को प्रमुख्यता देने की बजाए रोग से ठीक होने वाले लोगों की बातों को समाचारों में प्रमुख्यता दी जानी चाहिए, ताकि समाज में सकारात्मकता का माहौल बन सके।

यह सच है कि कोरोना की भयावहता को हम झुठला नहीं सकते, पर लोगों को दहशत में जीने से तो हम बचा सकते हैं। देश दुनिया में नंबरों का यह खेल किसी भी तरह से तुलनीय नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में केवल कोरोना के कारण ही नहीं अपितु किसी भी कारण से एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो वह अपने आप में गंभीर और चिंता का विषय है।

सरकार के विरोध में खड़े लोगों द्वारा लाख नकारात्मकता फैलाने के बावजूद हाल के दिनों में देश में वैक्सीनेशन की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बढ़ी है। हालातों में दिन–प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। लोगों में आत्मविश्वास जगने लगा है। पिछले दिनों देश में ऑक्सीजन की जिस तरह से मारामारी हुई और आक्सीजन सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण तड़पती हुई मौतों से साक्षात्कार हुआ, उस स्थिति में अब गुणात्मक गति से सुधार आने लगा है। अब यदि देश में किसी चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह है कि कुछ गिने–चुने लोगों द्वारा कमियों को उजागर करने और समाज में नकारात्मकता को दिखाने के वक्तव्य या समाचारों के स्थान पर देश में हिम्मत, सहयोगात्मक रवैया तथा समाज में सकारात्मकता का संदेश देने की। आवश्यकता है चिकित्सकों, दवाओं, आवश्यक उपकरणों के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को संबल देने की, क्योंकि जो संक्रमण से जूझ रहे या संक्रमण के डर से भयभीत है, उनमें आशा

यदि मीडिया सकारात्मक हालातों को प्रमुखता देगा तो मानवता के गिद्धों पर अंकुश लगेगा, लोगों में विश्वास जगेगा और दवा या अन्य की अनुपलब्धता के भय से मौतों को रोका जा सकेगा।

– राणा अजित प्रताप सिंह

का संचार पैदा कर सकें। समस्या संक्रमित व्यक्ति की ही नहीं है अपितु कोरोना के कारण जो परिवार प्रभावित हुआ है, चाहे वह परिवार कोरोना को हराने में सफल रहा हो या कोरोना की जंग में हार गया हो। पर आज सबसे अधिक उस परिवार को मनोवैज्ञानिक सहारे की जरूरत है तो दूसरी तरफ लोगों को कोरोना से डराने की नहीं, बल्कि उससे लड़ने की, हेल्थ प्रोटोकाल का पालन करने की तथा इसके लिए समाज को भी प्रेरित करने की है।

लेकिन जो हो रहा है, वह इसके ठीक उलट है। टीवी चैनलों व मीडिया के अन्य माध्यमों पर जिंदगी हारते लोगों की तस्वीरें, प्रशासन की नाकामियों जैसी नकारात्मक खबरों को उजागर करते समाचार प्राथमिकता से दिखाए जा रहे हैं। इस काम में सरकार का विरोध करने वाले कुछ गिने–चुने विघ्न संतोषी लोग प्रमुखता से शामिल है। लेकिन ऐसे लोगों को कम से कम यह तो पता ही होना चाहिए कि उनके ऐसे कृत्यों से मानवता का कोई भला होने वाला नहीं है। खासतौर से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के तथाकथित ज्ञानियों ने तो हद ही कर दी है। इन मंचों पर विरोध में खड़ लोग दिनभर अज्ञान फैलाते रहते हैं या फिर नकारात्मक तस्वीरों से समाज में दहशत का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आज सरकार की कमियां निकालने, अभाव का दुखड़ा रोने की नहीं बल्कि अभी जो भी है, जैसे भी है, के आधार पर उसे बेहतर करने की जरूरत है। कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसे उचित प्लेटफार्म पर जरूर उजागर किया जाए, लेकिन साथ ही साथ उसके निराकरण के सुझाव भी दिए जाने चाहिए ताकि इस महामारी की भयावह स्थिति से हम अधिक ताकत के साथ लड़ सके।

हालांकि मानवता के दुश्मनों ने अपनी करनी से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कोई अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराने की बोली लगा रहा था, तो कोई जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाजारी में लिप्त था, कई सारे लोग आवश्यक उपकरणों जैसे कि थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर आदि मनचाहे दामों में बेचने लगे थे। तो कुछ दवाओं का स्टॉक जमा कर बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा करने में जुटे हुए थे। यहां तक कि हालात इस तरह के बना दिए गए कि लोगों में भय अधिक व्याप्त हो गया। देश में इस तरह के गिद्धों की जमात ने नागरिकों को नोचने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतों में ऐसे लोगों ने बढ़–चढ़कर के हिस्सा लिया। मानवता के यह गिद्ध हमारे इर्द–गिर्द ही मंडरा रहे हैं। ऐसे में हमारा भी फर्ज होता है कि इस तरह के मानवता के दुश्मनों को सार्वजनिक करें और प्रशासन को सहयोग करें। ऐसे लोगों को सामने लाएं। ऐसे लोग व्यवस्था को बिगाड़ने और लोगों में दहशत पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं और उसका खामियाजा समूचे समाज को भुगतना पड़ता है।

पिछले दिनों देश भर में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों के मरने के समाचारों और बेड नहीं मिलने के समाचारों को प्रमुखता दी गई, उससे देश भर में भय का माहौल बना। लोग घबराने लगे और इसी का परिणाम रहा कि देश भर में मारामारी वाले हालात बनें। यह सही है कि प्रशासन की कमियों को उजागर किया जाए, पर उसमें संयम बरतना भी उतनी ही आवश्यकता है। यह कमियां गिनाने का समय नहीं है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। समझना होगा कि एक साल से भी अधिक समय से कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रवासी मजदूरों व असंगठित मजदूरों के सामने दो रोटी का संकट आ रहा है तो स्थाई रोजगार वालों के भी वेतन में कटौती हो रही है या छंटनी का डर सता रहा है। सरकार चाहे केन्द्र की हो या राज्यों की, उनके संसाधनों की सीमाएं सब जानते हैं।

यह भी सही है कि पैनिक करने से समाधान भी नहीं हो सकता। ऐसे में यदि सरकार को अलग–अलग फोरम पर सुझाव और मीडिया में सकारात्मकता का संदेश दिया जाए, तो इस संकट से देशवासी जल्दी ही उबरने की स्थिति में होंगे। अच्छा लगा, जब यह जानकारी सामने आई कि देश में दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो चार लाख को छूने लगा था वह अब घटकर करीब ढाई लाख पर आ गया है, तो ठीक होने का आंकड़ा चार लाख प्रतिदिन को पार कर रहा है। रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि देश में करीब 35 लाख संक्रमित लोग हैं और कोरोना की जंग जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिम्मत और सकारात्मक सोच के समाचारों से उन्हें रिकवर होने में अधिक आसानी होगी। इसलिए आज आवश्यकता संक्रमितों को बचाने के साथ–साथ लोगों में विश्वास पैदा करने की भी है। लोगों के मन से यह डर निकालना होगा कि अस्पताल गए तो वहां देखने वाला कोई नहीं हैं, कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या दवाओं के लिए भटकना पड़ सकता है। गैर सरकारी संगठनों के लोग भी यदि सहयोगी की भूमिका में आगे आते हैं तो हालातों को जल्दी ही सुधारा जा सकता है। कोरोना के पहले दौर में जिस तरह से भयमुक्त वातावरण बनाकर लोगों को बचाया गया था, वैसा ही प्रयास किया जाता तो दूसरी लहर से भी निपटना आसान हो जाएगा। यदि मीडिया सकारात्मक हालातों को प्रमुखता देगा तो लोगों में विश्वास जगेगा और दवा या अन्य चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता के भय से होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा। ❑❑

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।

कृषि आय बढ़ाने में विफल मुक्त बाजार

ऐसे समय पर जब आमतौर माना जाता है कि मुक्त बाजार व्यवस्था से कृषि उत्पादों को ज्यादा भाव मिल पाता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है, इस पर यकीन करना कल्पना से परे है। कनाडा में वर्ष 2017 में गेहूं का जो भाव मिला, वह 150 साल पहले 1867 में लगी कीमत से कहीं कम था। यह बात केवल कनाडा पर ही लागू नहीं है बल्कि मीडिया खबरों के मुताबिक अमेरिका में भी किसानों का कहना है कि गेहूं की जो कीमत आज उन्हें मिल रही है, वह उस मूल्य से कहीं कम है जो वर्ष 1865 में खत्म हुए 4 वर्षीय गृहयुद्ध के समय मिला करती थी।

तो क्या इसे बाजार व्यवस्था की कार्यदक्षता कहें? आखिरकार गेहूं एक आम आदमी की रोजमर्रा की खुराक है और पिछले 150 सालों में विश्व की जनसंख्या में जो इजाफा हुआ है, उससे इसकी मांग और उपज में कल्पनातीत वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक गेहूं का उत्पादन वर्ष 2020–21 में 78 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल से 75 लाख टन ज्यादा होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार आज दुनिया जिस किस्म की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, उससे गेहूं सहित अन्य अनाजों का उत्पादन अधिक रहने का अनुमान होना सकारात्मक संकेत है।

अब इससे पहले कि आपको हैरानी हो कि जब हमें स्कूल–कॉलेजों में अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में यह पढ़ाया जाता है कि मुक्त बाजार व्यवस्था उत्पाद का न्यायोचित मूल्य मिलने का अवसर मुहैया करवाती है तो फिर यह कृषि क्षेत्र के लिए क्यों सही नहीं बैठती। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रीय किसान संघ (एनएफयू) की पड़ताल बताती है कि वर्ष 1965 के बाद से मूंगफली की निरंतर गिरती कीमतों ने 4 में से 3 किसानों को इसकी खेती से तौबा करवा डाली है। वह भी तब, जब खपत में वृद्धि लगातार होती रही। आपूर्ति–मांग के स्वर्णिम सिद्धांत को गलत ठहराते हुए मूंगफली का मूल्य वर्ष 1965 में 1 डॉलर प्रति पाउंड था, वह साल 2020 में घटकर 0.25 डॉलर प्रति पांउड रह गया, यह गिरावट 75 फीसदी है। और यदि आप अब भी यह सोच रहे हैं कि ऐसा फालतू उत्पादन की वजह है तो वाशिंगटन पोस्ट अखबार की खबर बताती है कि किस तरह देश का पूरा मूंगफली बाजार केवल 3 कंपनियों के कब्जे में है, असल में खरीद मूल्य वही तय करती हैं। 12000 मूंगफली उत्पादक किसानों

बाजार व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे पवित्रता की श्रेणी में रखा जाए। यह विश्वास करना कि मुक्त बाजार से किसानों को ज्यादा मूल्य मिलेगा, यह पुरानी पड़ चुकी आर्थिक अवधारणा और पढ़ाई है।

– देविन्दर शर्मा

द्वारा दायर किए गए मुकदमे के बाद आखिरकार इन कंपनियों ने जानबूझकर कम भाव लगाने का दोषी पाने जाने के बाद 10.3 करोड़ डॉलर इन उत्पादकों को देना माना था।

मूंगफली कोई एक अपवाद नहीं है। मंडी नियंताओं में इस तरह का मैच–फिक्सिंग वाला खेल दशकों से जारी है, फिर चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप या फिर भारत। किसान यह जान लें कि मैच पहले से फिक्स किया जा चुका होता है। यह अकारण नहीं है कि मुद्रास्फीति को शामिल कर गणना उपरांत पता चलता है कि कृषि उत्पादों का भाव सालों से कमोबेश या तो एक जगह पर स्थिर है या फिर नीचे की ओर जा रहा है।

गेहूं–भाव के विषय की ओर वापस आते हैं। एक कनाडाई लेखक एवं आलोचक डारिन क्वालमैन ने अपने ब्लॉग में विचारोत्तेजक लेखों की लड़ी में खुलासा किया कि वर्ष 1867 के बाद से कृषि उत्पाद के भाव में गिरावट बेतरह हुई है। मुद्रास्फीति को जोड़ने के बाद गणना करें तो गेहूं की कीमत वर्ष 1867 में लगभग 30 डॉलर प्रति बुशेल (27 किलो) थी। लेकिन उसके बाद गेहूं का औसत भाव लगातार इस कदर गिरा मानो स्की स्लोप पर फिसला हो। वर्ष 1980 के दशक के मध्य में जब दुनियाभर में ध्यान कृषि उत्पादों के निर्यात करने पर ज्यादा होने लगा तो भाव में और गिरावट आई। वर्ष 2017 में गेहूं की कीमत प्रति बुशेल मात्र 5 डॉलर के आसपास लगी थी। हकीकत यह है कि एक कनाडाई किसान के परदादा ने 150 साल पहले गेहूं को जिस मूल्य पर बेचा था, आज उसका भाव 25 डॉलर कम लग रहा है।

कोई हैरानी नहीं कि जहां छोटे किसान बड़ी संख्या में खेती छोड़ गए हैं वहीं कनाडा में बड़े फार्मों का औसत रकबा कई गुणा बढ़कर 3000 एकड़ पहुंच गया है। ऐसे में जब कृषकों की संख्या में काफी कमी आई है तो मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों का वह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ है जब कहा जाता है कि किसानों की संख्या घटने का मतलब है बाकियों की कृषि आय में वृद्धि होना। अकेले अमेरिका में पिछले 100 सालों से कम समय में 50 लाख खेत बड़े फार्मों में विलीन हो चुके हैं तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 1980–2002 के बीच 25 फीसदी छोटे खेत नहीं रहे। हालांकि अब भी यही अर्थशास्त्री कहेंगे कि यह स्वस्थ घटनाक्रम है और कृषि को मुनाफादायक बनाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले समय से जिस तेजी से दुनियाभर में किसान खेती से किनारा कर गए हैं, उसके बावजूद बाकी बचे कृषकों की कृषि–आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसके उलट कृषि–संबंधी समस्याओं में इजाफा ही हुआ है।

यह वही अतार्किक दलील है जिसका प्रतिपादन नीति आयोग यह मानकर कर रहा है कि जब कृषि करने वालों की संख्या में कमी होगी तो बाकी बचे किसानों की आमदनी स्वयमेव बढ़ जाएगी। अगर यह सच में सही है तो कोई समझाए कि फिर कनाडा में कृषि क्षेत्र का ऋण 102 खरब डॉलर से ज्यादा क्यों हो गया है, जो कि वर्ष 2000 से दोगुणा है। इसी तरह अमेरिका में जहां कुल जनसंख्या का महज 1.2 प्रतिशत ही कृषि व्यवसाय में है, वहां कृषि घाटा वर्ष 2020 में 425 खरब डॉलर का कल्पनातीत आंकड़ा क्यों छू गया है? फ्रांस में भी जहां कुल श्रमशक्ति का सिर्फ 7 फीसदी खेती करता है वहां 44 प्रतिशत से ज्यादा किसानों के सिर पर 4 लाख यूरो का ऋण चढ़ा हुआ है और 25 फीसदी कृषक ऐसे हैं, जिनकी आय 350 यूरो प्रतिमाह से कम है और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।

बाजार आधारित व्यवस्था ने जहां किसानों को उनके हक का कृषि–मूल्य देने से इनकार किया है वहीं उपभोक्ता को लगातार बढ़ती कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। अपने ब्लॉग में एक अन्य पोस्ट में क्वालमैन ने खुलासा किया है कि वर्ष 1975 से कनाडा और अमेरिका में गेहूं की कीमत प्रति बुशेल कमोबेश एक जगह टिकी हुई है, जबकि इस 27 किलो गेहूं से जो लगभग 60 पाउंड डबलरोटी तैयार होती है, उसके औसत मूल्य में 50 डॉलर की वृद्धि हुई है, यह वर्ष 1975 में 25 डॉलर से बढ़कर 2015 में 75 डॉलर हो गई थी। यही बात अन्य खाद्य उत्पादों पर सटीक बैठती है, वहीं विशालकाय खाद्य प्रसंस्करण निर्माता अपने उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ा रहे हैं और खरीदारों का एक बड़ा हिस्सा जुड़ता जा रहा है। ऐसे में खेत में लगने वाले भाव में होती कमी कृषि–दक्षता का पैमाना कैसे हो सकती है? अगर बाजार व्यवस्था कारगर होती तो फिर केवल खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री करने वाली विशालकाय कंपनियां ही क्यों लगातार मुनाफा बना रही हैं?

बाजार व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे पवित्रता की श्रेणी में रखा जाए। यह विश्वास करना कि मुक्त बाजार से किसानों को ज्यादा मूल्य मिलेगा, यह पुरानी पड़ चुकी आर्थिक अवधारणा और पढ़ाई है। पूरी दुनिया में मुक्त बाजार व्यवस्था कृषि आय बढ़ाने में ऐतिहासिक रूप से नाकामयाब सिद्ध हो चुकी है और अर्थशास्त्री इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। किसी भी कृषि उत्पाद की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो, यह मांग करके आंदोलनकारी किसान वास्तव में आर्थिक नीतियों और सोच में रही ऐतिहासिक भूलें सुधरवाना चाहते हैं। इस लड़ाई के सफल होने का मतलब है व्यावहारिक खेती का भविष्य बचाना और 'सबका साथकृ सबका विकास' वाले नये आर्थिक नारे को सच बनाना।❑❑

लेखक खाद्य एवं कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।

पर्यावरण बचाइए, जीडीपी बढ़ाइए

उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। भारत समेत सम्पूर्ण धरती का तापमान बढ़ रहा है। अगले वर्षों में इस प्रकार की आपदायें बढेंगी। इन विध्वंसक प्राकृतिक घटनाओं के कारण पर्यटन और निवेश दोनों में गिरावट आती है। घरेलू निवेशक उन स्थानों को रहने के लिए चुनते हैं जहाँ उनको स्वच्छ पर्यावरण, साफ पानी और साफ हवा मिले। इसलिए अपने देश से तमाम अमीर लोग अपनी पूंजी लेकर विदेशों में जाकर बस रहे हैं। यहाँ निवेश कम हो रहा है और हमारा जीडीपी पिछले 6 वर्षों में लगातार गिर रहा है। लेकिन सरकार पर्यावरण और निवेश दोनों की चिंता न करते हुए बड़ी योजनाओं को त्वरित स्वीकृतियां देने का प्रयास कर रही है और इन स्वीकृतियों को देने में पर्यावरण की अनदेखी कर रही है। सरकार समझ रही है कि बड़ी योजनायें लगेंगी तो आर्थिक विकास चल निकलेगा। लेकिन बड़ी योजनाओं द्वारा स्वयं निवेश के बावजूद उनके द्वारा की जाने वाली पर्यावरण की हानी से कुल निवेश घाट रहा है।

जैसे सरकार ने थर्मल पावर प्लांट द्वारा जहरीली गैसों के उत्सर्जन के मानकों को ढीला कर दिया है। इससे देश में बिजली का उत्पादन तो सस्ता हो जायेगा लेकिन साथ–साथ हवा प्रदूषित होगी। बिजली सस्ती होने से उद्योग लग सकते हैं; लेकिन प्रदूषण के विस्तार के कारण अमीर लोग यहाँ से बाहर जाने को मजबूर होंगे। इन दोनों विपरीत प्रभाव में अमीरों का बहार जाना ज्यादा प्रभावी हो, इसलिए विकास दर घट रही है।

किसी बड़ी इकाई को लगाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति लेना होता है। इस स्वीकृति को हासिल करने के लिए उद्यमी को पर्यावरण प्रभाव आकलन रपट प्रस्तुत करनी पड़ती है। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी निर्णय करती है कि परियोजना को स्वीकृति दी जाए या नहीं। वर्तमान में इन कानूनों में सरकार ने कई परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन के बाद जनसुनवाई करने की जरूरत को

देश का पर्यावरण स्वच्छ और स्निग्ध हो ताकि देश के अमीर, देश में ही रहकर अपनी पूंजी का निवेश देश में ही करने को ललायित हों और देश की जीडीपी को बढ़ाने में सहायक बने।
– डॉ. भरत झुनझुनवाला

कई परियोजनाओं के लिए निरस्त करने का प्रस्ताव है। कई पुरानी परियोजनाएं बिना पर्यावरण स्वीकृति के चल रही हैं उन्हें पोस्ट फैक्टो यानि चालू होने के बाद भी पर्यावरण स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। सिंचाई और नदियों की ड्रेजिंग के लिए पर्यावरण स्वीकृति की जरूरत को समाप्त किया जा रहा है। इन सब क़दमों के पीछे सरकार का मंतव्य है कि इस प्रकार की परियोजनाएं शीघ्र लागू हों और देश का आर्थिक विकास बढ़े। लेकिन इन परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन को ढीला करने से देश का जल और वायु प्रदूषित होगा। अपने देश के अमीर विदेश को चले जायेंगे जैसा कि पिछले छः वर्षों से तेजी से हो रहा है और हमारा जीडीपी बढ़ने के स्थान पर गिरेगा जो पिछले छः वर्षों के रिकार्ड से ज्ञात होता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ताजमहल, वाराणसी, समुद्र तटों पर बीच, पहाड़ों पर बर्फ इत्यादि उपलब्धियों के बावजूद अपने देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन बहुत ही कम संख्या में होता है क्योंकि यहाँ का सामाजिक और भौतिक पर्यावरण अनुकूल नहीं है। ट्यूनीशिया और मालद्वीप जैसे छोटे छोटे देश हमारे समकक्ष अपनी प्राकृतिक उपलब्धयों से 100 गुना रकम अर्जित कर रहे हैं।

इस परिप्रेक्ष में पर्यावरण प्रभाव आकलन को और सख्त बनाना चाहिए. मैं आपके सामने राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो कि वाराणसी से हल्दिया तक बनाया जा रहा है का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस जलमार्ग को बनाने के पीछे आधार यह था कि जलमार्ग से माल की ढुलाई का खर्च 1.06 रूपये प्रति टन प्रति किलोमीटर लगेगा जबकि रेल से इसका खर्च 1.36 प्रति टन प्रति किलोमीटर लगता है। लेकिन साथ–साथ जलमार्ग से वाराणसी से हल्दिया की दूरी 1300 किलोमीटर पड़ती

सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण स्वीकृति, जंगल काटने की स्वीकृति, वन्य जीव स्वीकृति, तटीय क्षेत्रों की स्वीकृति और प्रदूषण की स्वीकृति सबको एक साथ उपलब्ध करा दिया जाये। यह प्रयास सही दिशा में है।

है जबकि रेल से 800 किलोमीटर. इसलिए एक टन माल को हल्दिया से वाराणसी तक जल मार्ग से लाने का वास्तविक खर्च 1370 रूपये प्रति टन पड़ता है। जबकि रेल से 1080 रूपये प्रति टन। लेकिन सरकारी अधिकारियों को बड़ी–बड़ी योजनायें ज्यादा पसंद हैं इसलिए इस सीधी सी बात को नजरंदाज करते हुए इस जलमार्ग का निर्माण हो रहा है। 4500 करोड़ की परियोजना भारी खर्च होने के बावजूद इक्के दुक्के जहाज ही चल रहे हैं। लेकिन गंगा की ड्रेजिंग की जा रही है जिससे गंगा की तलहटी में रहने वाले जीव जंतु जैसे– कछुए, डालफिन, केचुए और अन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। पानी प्रदूषित हो रहा है। यदि जहाज चले तो जहाजों के बाहर के जहरीले पेंट से पानी भी जहरीला होगा। जहाजों से उत्सर्जित कार्बन पानी में सोख लिया जाएगा जिससे भी पानी की गुणवत्ता का ह्रास होगा। इस प्रकार जलमार्ग निर्माण के इन पर्यावर्णीय दुष्प्रभावों को अनदेखा करके इस परियोजना को लागू किया गया है। इस परियोजना की सफलता पर संदेह है चूँकि इसका भाड़ा अधिक आता है और यदि यह सफल हो भी गई तो इसके पर्यावर्णीय दुष्प्रभाव इतने ज्यादा होंगे कि वाराणसी और कोलकता जैसे स्थानों पर जो पर्यटक आते हैं वे भी कम हो जायेंगे। ऐसे में देश की जीडीपी बढ़ने के स्थान पर घटेगी। इसके अतिरिक्त यदि हमारी वायु प्रदूषित हो गई, नदियाँ प्रदूषित हो गईं और पीने का पानी प्रदूषित हो गया तो जन स्वास्थ में भी भारी गिरावट आती है और उससे भी पुनः हमारा जीडीपी गिरता है। जैसे यदि कोई कर्मी प्रदूषित हवा के कारण बीमार पड़ता है तो वह अनुत्पादक हो जाता है।

सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण स्वीकृति, जंगल काटने की स्वीकृति, वन्य जीव स्वीकृति, तटीय क्षेत्रों की स्वीकृति और प्रदूषण की स्वीकृति सबको एक साथ उपलब्ध करा दिया जाये। यह प्रयास सही दिशा में है। इससे उद्यमी को राहत मिलेगी। किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए उद्यमी को तमाम अलग–अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के द्वारा सौर उर्जा को जो बढ़ावा दिया गया है जिसके लिए भारत को वैश्विक एजेंसियों द्वारा सम्मानित किया गया है वह भी सराहनीय है। लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने समग्र पर्यावरण की रक्षा करें। जिससे उत्तराखंड में जंगल का जलना, गंगा के पानी का प्रदूषित होना इत्यादि न हो। देश का पर्यावरण स्वच्छ और स्निग्ध हो ताकि देश के अमीर देश में ही रहकर अपनी पूंजी का निवेश देश में ही करने को ललायित हों और देश के जीडीपी को बढ़ाने में सहायक बने। वर्तमान पालिसी जिसमें हम परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं यह देश के विपरीत साबित होंगी। क्योंकि पर्यावरण नष्ट होने से इन परियोजनाएं के लगने के बावजूद जीडीपी नहीं बढेगा चूँकि अमीर लोग स्वच्छ पर्यावरण की लालसा में अपनी पूंजी के साथ विदेश रवाना हो जायेंगे। ❑❑

अंधाधुंध दोहन से प्रकृति के अस्तित्व पर संकट

हाल ही में आए तोकते तूफान का तांडव तटवर्ती राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, व केंद्र शासित प्रदेश दीव में दिखा। इस तूफान के चलते आयी बेमौसम आंधी–पानी से देश का अधिकांश हिस्सा हलकान हुआ है। वहीं अब बंगाल की ओर से उठने वाले आभा चक्रवाती तूफान को लेकर लोग सशंकित हैं। कोरोना महामारी के दौर में एक के बाद एक आने वाले इन तूफानी झंझाबातों को लेकर लोग तो चिंतित हैं ही, पर्यावरणविदों में भी प्रकृति की धमाचौकड़ी के आलोक में प्रकृति के दोहन को लेकर गंभीर विचार–विमर्श हो होने लगा है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति के अंधाधुंध दोहन से प्रकृति के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का आशय विभिन्न प्रकार के जीव–जंतु और पेड़ पौधों की अधिकाधिक प्रजातियों से है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जैव विविधता की कमी के कारण ही बाढ़ सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है।

जैव विविधता से संबंधित विषयों के संदर्भ में जागरूकता विकसित करने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम 'प्रकृति में हमारे समाधान' है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किए गए इस दिन को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है।

साल 1993 में सबसे पहले जैव विविधता के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। वर्ष 2000 तक यह दिवस 29 दिसंबर को आयोजित होता था, क्योंकि इसी दिन जैव विविधता पर कन्वेंशन लागू हुआ था, लेकिन बाद में इसे 29 दिसंबर से शिफ्ट करके 22 मई को कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन जो कि एक बहुपक्षीय संधि है, के तहत 1992 में ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसके तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। एक, जैविक विविधता को संरक्षण। दो, प्रकृति का ठीक–ठीक उपयोग और तीन, अनुवांशिक विज्ञान से मिलने वाले लाभों का निष्पक्ष व न्यायोचित ढंग से वितरण।

(शेष पृष्ठ 27 पर)

मनुष्य भूल जाता है कि उसका विकास प्रकृति के सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। लगातार आ रहे संकटों के कारण थोड़ी सजगता बढ़ी है, लेकिन रफ्तार अभी भी बहुत धीमी है जिसे गति देकर पर्यावरण को सुरक्षित करने की जरूरत है।

– वैदेही

कोरोना से बदली खाने-पीने की आदतें

कोरोना महामारी के कारण लोगों के खाने पीने के तरीके में भी बदलाव आए हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के पिज़्ज़ा बर्गर जैसे उत्पादों को छोड़कर लोग अब घरों में फल और सब्जियों के साथ ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी व स्वनिर्मित उत्पाद खाने लगे हैं।

किसी से यह पूछने पर कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने क्या किया, तो अक्सर यह उत्तर मिलता है कि फिटनेस पर ध्यान दिया, योगा किया, मास्क लगाकर बाहर निकले, भीड़ से बचे रहे, बार–बार हाथ धोए। इसके अलावा और क्या किया? तो लोग झट से बता रहे हैं कि खूब च्यवनप्राश और गिलोय खाया, अदरक, तुलसी दालचीनी और नींबू का काढ़ा पीया।

हाल के महीनों में आए कुछ सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि लगभग 50 प्रतिशत यानी आबादी का हर दूसरा आदमी, इस कोरोना महामारी के दौरान प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अधिकतर स्वदेशी उत्पादों को अपनाया है। कह सकते हैं कि कोरोना ने लोगों की खाने–पीने की आदतें बहुत हद तक बदल दी है।

स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ा है, वहीं एक संभावित भय के चलते ढेर सारे लोग मांसाहार का परित्याग कर शुद्ध शाकाहार की ओर आकर्षित हुए है। अब तक जो लोग पश्चिमी अंधानुकरण के चलते मल्टीनेशनल कंपनियों के झांसे में पड़े थे, उनकी आंखे भी धीरे–धीरे खुल रही है। यह भारतीय संस्कति व परंपरा के करीब आने का संकेत भी है।

स्वदेशी संवाद

दिल्ली में रह रहे एक वरिष्ठ पत्रकार के परिवार में 4 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए थे, इस दौरान उनके परिवार में च्यवनप्राश, काढ़ा जैसे उत्पादों का खर्च बढ़ गया। उनका कहना है कि संक्रमण के पहले बच्चे बाहर का खाना कुछ अधिक पसंद करते थे लेकिन अब पूरा परिवार इम्यूनिटी बढ़ाने वाली खाने पीने की चीजें स्वतः घर में ही बनाकर खाने के अभ्यस्त हो गए हैं। 16 राज्यों में हजारों लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षण में यह बात उभर कर आई है कि 49.2 प्रतिशत लोग स्वनिर्मित पुष्टाहार ले रहे हैं, मेडिकल स्टोरों पर भी च्यवनप्राश और गिलोय के टैबलेट आदि इम्यूनिटी बुस्टर उत्पादों की बिक्री पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है।

शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी खाने–पीने के आयुर्वेदिक सुझाव दिए है, जिनमें काढ़ा, च्यवनप्राश जैसे कई उत्पाद शामिल है। मंत्रालय ने खुराक के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च जैसे उपयोगी चीजों के साथ हल्दी वाले दूध का भी चलन बढ़ गया है।

एम्स अस्पताल के रसशास्त्र के भसज्य कल्पना विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. प्रजापति बताते हैं कि कोविड–19 के दौरान ऐसे आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां फायदे में चल रही हैं। आयुर्वेद की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ा है। पिछले कुछ महीने से लोग फिजूल के खर्चों को कम करके काम की चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हर्बल चीजों की खासियत है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि शरीर के लिए यह हर तरह से फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में च्यवनप्राश जड़ी बूटियों का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें आंवले के साथ काली मिर्च, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा जैसे तत्व मौजूद रहते हैं जो

कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होते हैं।

भारत विविधता वाला देश है। हर राज्य का खानपान, आबोहवा, जलवायु और जरूरतें अलग–अलग हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि उत्तर–पूर्व के राज्यों के 60 प्रतिशत से अधिक लोग, जबकि पश्चिमी राज्यों के 48 प्रतिशत लोग स्वास्थ्यवर्धक चीजों पर पैसा अधिक खर्च कर रहे हैं। उत्तरी राज्यों में, जिसमें कि यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, जम्मू–कश्मीर, हरियाणा, प्रमुख रूप से आते हैं, में भी अधिकांश लोग पौष्टिक भोजन के प्रति आगे बढ़े हैं।

कोरोना के शुरुआती दौर में ही अफवाह फैलने लगी थी कि चिकन, अंडा, मांस, मछली, खाने से कोरोना फैल रहा है। इससे भी प्रभावित होकर अधिकांश लोग शाकाहार की तरफ लौट आए। सर्वेक्षण में 22 प्रतिशत मांसाहारी लोगों ने शाकाहारी होने का दावा किया है। वहीं 10 प्रतिशत लोगों ने बताया है कि वह सिर्फ अंडा खा रहे हैं, मछली, मांस और चिकन छोड़ दिया है। अध्ययन में 14 प्रतिशत ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने अपना खानपान का कल्चर पुराना वाला ही बनाए रखा है लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश लोगों के खाने–पीने की आदतों में तब्दीली आई है। लोगों की आदतों में इस तब्दीली का सीधा असर पोल्ट्री के क्षेत्र में कारोबार करने वालों पर पड़ा है। वहीं चीन से चली अफवाहों के चलते चिकन का बाजार भी ढलान की ओर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों मांसाहार के घटते कारोबार से इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के बिगड़ते हालातों को काबू में करने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को एडवाइजरी जारी कर कहना पड़ा था कि मीट, मुर्गा, मछली, खाने से कोरोना नहीं फैलता।

कोरोना काल में भारतीय समाज में यूं तो कई तरह के बदलाव देखें जा रहे हैं। कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण लोग घरों में हैं तथा आवश्यकता शिष्टाचार का भी पालन हो रहा है। सबसे अधिक बदलाव खाने पीने की आदतों में आया है। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ा है, वहीं एक संभावित भय के चलते ढेर सारे लोग मांसाहार का परित्याग कर शुद्ध शाकाहार की ओर आकर्षित हुए है। अब तक जो लोग पश्चिमी अंधानुकरण के चलते मल्टीनेशनल कंपनियों के झांसे में पड़े थे, उनकी आंखे भी धीरे–धीरे खुल रही है। यह भारतीय संस्कृति व परंपरा के करीब आने का संकेत भी है। ❑❑

(पृष्ठ 25 से आगे...)

अंधाधुंध दोहन से प्रकृति के अस्तित्व पर संकट ...

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का उद्देश्य ऐसे उचित पर्यावरण का निर्माण करना है, जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक कारोबार के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर सके। इसमें विशेष रूप से वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों आदि के महत्व को प्रदर्शित करके जैव विविधता पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने जैसे विषय शामिल हैं।

पूरे विश्व में जैव विविधता मुख्य रूप से मनुष्य द्वारा जल–जंगल–जमीन एवं महासागरों पर किए जाने वाले व्यवहार पर निर्भर है। पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता वन क्षेत्रों में फलती–फूलती है। इसलिए जंगलों का संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वनों में वृक्षों की 60,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी तरह 80 प्रतिशत वन प्रजाति, 75 प्रतिशत पक्षियों की प्रजातियां और पृथ्वी के स्तनपाई जीवों की 68 प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती है, इन प्रजातियों का संरक्षण आज की तारीख में बहुत ही आवश्यक है।

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण सन 1970 के बाद से अब तक दुनिया भर में जीव जंतुओं की संख्या में लगभग 60 फ़ीसदी की कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी चेताया गया है कि वन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो वन्यजीव जल्द ही समाप्त हो सकते हैं। इसी तरह समुद्री गतिविधियों का प्रभाव समुद्र के जीव जंतुओं पर भी पड़ा है। पिछले 30 वर्षों में समुद्री जल में 10 गुना प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ोतरी हुई है। जिसके कारण 267 समुद्री प्रजातियों के लिए खतरा बढ़ गया है, खास करके कछुओं की विभिन्न प्रजातियां अपने विनाश के कगार पर हैं

वस्तुतः मनुष्य ने अपने विकास के लिए संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण को विनाश की ओर धकेल दिया है। आज प्रकृति में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहां मानवीय हस्तक्षेप न बढ़ गया हो। मनुष्य भूल जाता है कि उसका विकास प्रकृति के सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। लगातार आ रहे संकटों के कारण थोड़ी सजगता बढ़ी है, लेकिन रफ्तार अभी भी बहुत धीमी है जिसे गति देकर पर्यावरण को सुरक्षित करने की जरूरत है। ❑❑

कोरोना प्रभाव के चलते नदियों में शव प्रवाह

कोरोना महामारी ने पूरे समाज को भयभीत कर मृत्यु के बाद किए जाने वाले अंत्येष्टि कर्म को भी प्रभावित कर दिया है। भारतीय समाज में पर्यावरण की दृष्टि से अग्नि दाह की प्रथा प्रचलित रही है। हालांकि कुछ विशेष समुदायों में भूमि एवं जल में शव दाह किए जाने का भी चलन रहा है। किंतु हिंदू रीति रिवाज में अधिकांश अंत्येष्टि कर्म अग्नि दाह के रूप में ही संपन्न किए जाते रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी इसे सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अग्नि दाह करने से पांच महाभूतों से बना यह शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। वहीं मृत शरीर में व्याप्त बीमारी के विषाणु भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, किंतु आज कोरोना के साए में होने वाली मौतों से भयभीत लोग शव को नदी के किनारे दफनाकर या उन्हें जल में प्रवाहित कर अंत्येष्टि का कार्य पूरा कर रहे हैं, जिससे न केवल रिश्तों की खाई चौड़ी हो रही है, अपितु पर्यावरण के प्रदूषित होने के साथ ही जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल और मिट्टी में भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।

यहां प्रश्न यह उठता है कि समाज द्वारा स्वीकृत अग्नि दाह के स्थान पर लोगों द्वारा अपने स्वजनों के शवों का मृतिका दाह या जलदाह क्यों किया जा रहा है? वस्तुतः इसके मूल में आर्थिक विपन्नता एवं महामारी के वायरस से उत्पन्न डर निहित है। अंत्येष्टि में शवों की कपाल क्रिया कर अग्नि दाह के उपरांत किए जाने वाले कर्मकांड अनिवार्य रूप से संपन्न किए जाते हैं, किंतु जलदाह एवं मृतिका दाह में कर्मकांड अनिवार्य न होने से आर्थिक रूप से विपन्नता झेल रहे लोगों द्वारा यह मार्ग अपनाया जा रहा है। यह मजबूरी का मार्ग है, किंतु बड़े पैमाने पर गंगा नदी में शव प्रवाहित किए जाने से कई तरह के खतरों की आशंका बढ़ी है।

परम पवित्र गंगा नदी में बड़ी मात्रा में शव के प्रवाह किए जाने के मामलों ने जितना सरकारी तंत्र पर सवाल खड़ा किए हैं, उससे कहीं अधिक आमजन को झकझोरा है। हमारे समाज में गंगा को केवल जीवनदायिनी नदी ही नहीं, बल्कि मां का दर्जा दिया है। दानवों की तरह हर पल मुंह बाए खड़े कोरोना के सामने आस्था की चूलें हिल गई हैं। लोग बिना सोचे समझे आनन–फानन में नदियों में शव प्रवाह करने लगे हैं। बताते हैं कि कुछ लोग तो

कानपुर आईआईटी के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ और नमामि गंगे मिशन से जुड़े डॉ विनोद तारे की मानें तो कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों को नदियों में बहाए जाने के बाद भी कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। इस वायरस को नष्ट करने के लिए कई अन्य चीजों की जरूरत पड़ सकती है लेकिन इन शवों के कारण नदियों के पानी के प्रदूषित होने की संभावना अधिक है।

डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

आर्थिक मजबूरी में, पर अन्य कई लोग कोरोना के भय से ऐसा कर रहे हैं। हालांकि सरकारी तत्परता बढ़ने के बाद नदियों में शव प्रवाह की रफ्तार रूक गई है, पर विशेषज्ञों का कहना है कि भारी संख्या में शव प्रवाह के कारण गंगा नदी के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है।

प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह इसे अपने आपमें एक आपदा मानते हैं। पिछले काफी समय से नदियों को शुद्ध करने के लिए सरकारों की पहल पर कई एक योजनाएं शुरू की गयी है। उन्होंने अपने एक शोध पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हम अपनी नदियों में गंदगी डालना बंद कर दें, तो एक साल के अंदर नदियां खुद ही अपने आपको स्वच्छ कर लेंगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना का यह समय एक अत्यंत आपदा काल है, लेकिन गंगा जैसी जीवनदायिनी नदी में शव प्रवाह का बर्ताव कहीं से भी तार्किक नहीं है। किसी भी नदी में शव डालना नुकसानप्रद है, पर गंगा जैसी नदी में शव डालने का खतरा कई गुना और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि इस नदी की पहुंच अधिकांश जन के बीच है। जाहिर सी बात है कि नदी में शव प्रवाहित किए जाएंगे तो उसे नदी की मछलियां खाएगी और फिर जो इंसान उन्हीं मछलियों को खाएंगे, उनमें भी कोविड–19 के संक्रमण का खतरा बना रहेगा। चूंकि नहरों के जरिए इन्हीं नदियों का पानी खेतों में जाता है, इससे फूड चेन भी बिगड़ेगा। जिसका असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। नदी के भौगोलिक रासायनिक व बायोलॉजिकल गुणों में भी बदलाव आ सकता है, जो कि प्रकृति के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं होगा।

केंद्र की सरकार ने वर्ष 2014 में गंगा को साफ व निर्मल बनाने के लिए 'नमामि गंगे' परियोजना की शुरुआत की, इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया। पहले सरकार ने वर्ष 2018 तक नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। सरकार अभी भी इस दिशा में प्रयास कर रही है।

जाहिर सी बात है कि नदी में शव प्रवाहित किए जाएंगे तो उसे नदी की मछलियां खाएगी और फिर जो इंसान उन्हीं मछलियों को खाएंगे, उनमें भी कोविड–19 के संक्रमण का खतरा बना रहेगा।

इस बीच नमामि गंगे परियोजना के समानांतर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी गंगा सफाई का एक अभियान शुरू किया। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंगा यात्रा निकाली। यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना था। इसके साथ ही भागीरथी सर्किट बनाकर गंगा किनारे के गांवों को विकसित करने की योजना है। शहरों के लिए स्मार्ट सिटी के तर्ज पर कुछ चुनिंदा गांवों को माडल के रूप में भी विकसित करने की घोषणा हुई। सरकार का दावा है कि इस योजना से गंगा किनारे बसे 27 जिलों, 21 नगर निगमों और 1038 ग्राम पंचायतों का कायाकल्प होगा। देश में लगभग दो हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करने वाली गंगा नदी उत्तर प्रदेश के करीब 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यमान है।

इस बीच केंद्र के सख्त निर्देश के बाद यूपी और बिहार की सरकारों ने गंगा और उनकी सहायक नदियों में शव प्रवाह पर रोक लगाने तथा ऐसे शवों को सुरक्षित व सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए, वहीं दूसरी तरफ आईआईटी कानपुर का एक विशेष दल गंगाजल और उसकी मिट्टी के जांच का अभियान शुरू किया है। यह दल यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि गंगा में लाशें बहाए जाने और नदियों के किनारे शवों को रेत में दफन करने से पानी और मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा है। कानपुर आईआईटी के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ और नमामि गंगे मिशन से जुड़े डॉ विनोद तारे की मानें तो कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों को नदियों में बहाए जाने के बाद भी कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। इस वायरस को नष्ट करने के लिए कई अन्य चीजों की जरूरत पड़ सकती है लेकिन इन शवों के कारण नदियों के पानी के प्रदूषित होने की संभावना अधिक है।❑❑

अनिवार्य लाईसेंस की मांग खैरात नहीं हमारा हक हैः डॉ. महाजन

स्वदेशी जागरण मंच ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा कानून) के प्रावधानों में छूट देते हुए अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। आज जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्राहि–त्राहि कर रही है, अमेरिका–यूरोप जैसे विकसित देश ट्रिप्स और पेटेंट जैसे कानूनों की आड़ लेकर मुनाफाखोर दवा कंपनियों के पक्ष में खड़े हैं। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने दुनिया भर के लोगों से संगठित लड़ाई का आह्वान करते हुए कहा है कि दोहा बैठक के बाद बनी सहमति के मुताबिक अनिवार्य लाइसेंसिंग की मांग कोई खैरात नहीं है, बल्कि विकासशील गरीब देशों का हक है।

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में बीते 14 मई 2021 को विकासशील और गरीब देशों के लिए सस्ती वैक्सीन और जीवनरक्षक दवाइयों को लेकर गूगल मीट पर एक वेबीनार का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जाने–माने अर्थशास्त्री, चिकित्सक, विधिवेत्ता सहित कई अन्य विशेष विशेषज्ञ लोग सम्मिलित हुए। इस दौरान सभी ने एक स्वर से समूची आबादी के लिए वैक्सीन तथा जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए ट्रिप्स के प्रावधानों में छूट तथा अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने को लेकर जनमत तैयार करने तथा समान सोच के लोगों को एक मंच पर लाकर संगठित लड़ाई की बात कही। कमोबेश सभी जानकारों का यह मानना था कि अनिवार्य लाइसेंस से ही मुनाफाखोर कंपनियों का तिलिस्म तोड़ा जा सकता है।

अपनी बात रखते हुए डॉ. महाजन ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का संघर्षों का अपना इतिहास रहा है। साल 1995 में विश्व व्यापार संगठन बनने के साथ ही ट्रिप्स समझौता लागू हो गया था। इस समझौते में सदस्य देशों पर यह शर्त थोपी गई थी कि वह पेटेंट संबंधी अपने सभी बौद्धिक संपदा कानूनों को बदलेंगे और सख्ती से लागू करेंगे। तब भी स्वदेशी जागरण मंच ने इस समझौते का खुलकर विरोध किया था, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य को खतरा था। उस दौरान मंच के आह्वान पर भारत के अनेक संगठनों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विरोध का झंडा बुलंद किया था। अमीर मूल्कों का सारा दबाव धरा का धरा रह गया। भारत ने अपने पेटेंट कानूनों में संशोधन कर जन स्वास्थ्य को बचाया था।

उन्होंने कहा कि संशोधित पेटेंट अधिनियम 1970 के अध्याय–16 में अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान है। सरकार इसका उपयोग करते हुए अगर अन्य फार्मा कंपनियों को दवा उत्पादन का लाइसेंस जारी कर देती है तो कोविड–19 से लड़ने में आ रही दवा व वैक्सीन की कमी को समय रहते दूर किया जा सकता है तथा दवा की कालाबाजारी को भी पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि अपनी सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करते हुए हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों ने ट्रिप्स प्रावधानों में छूट की मांग की है। इस पर दुनिया के 100 से अधिक देशों ने सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किया है। हालांकि बड़ी फार्मा कंपनियों के हमराज़ बड़े और विकसित देश इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच ने पूर्व की भांति एक बार फिर इस मसले को लेकर निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के संगठनों को एकजुटकर इस मसले पर ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। डॉ. महाजन ने कहा कि अनिवार्य लाइसेंस की मांग कोई खैरात की मांग नहीं है, बल्कि अपनी आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए यह हमारा हक है, जो कि पेटेंट प्रावधानों में पहले से ही शामिल है।

ऑनलाइन संगोष्ठी की शुरूआत करते हुए अनिल शर्मा ने विषय प्रवर्तन किया तथा कहा कि भारत में 70 प्रतिशत लोगों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन की 200 करोड़ डोज की जरूरत है। वर्तमान में केवल 2 कंपनियां ही वैक्सीन बना रही हैं, इसलिए विकसित देशों की तुलना में विकासशील और गरीब देशों में वैक्सीन के टीकाकरण की रफ्तार बहुत ही धीमी है। अमेरिका जहां 45 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण कर चुका है, वहीं भारत में अभी कुल 10 प्रतिशत के आसपास है। विदेशों में बन रही वैक्सीन के दाम इतने महंगे हैं कि गरीब देशों में टीकाकरण समय से नहीं हो सकता है। मॉडर्ना, थाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन आदि के दाम इतने ऊचें हैं कि उसे गरीब मुल्क खरीद ही नहीं सकते। चाइना में बनी वैक्सीन भी बहुत महंगी है। रूस से आने वाली

स्पूतनिक का दाम भी हमारी वैक्सीनों के मुकाबले बहुत ऊंचा है। श्री शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने डब्ल्यूटीओ से निवेदन किया है कि ट्रिप्स के प्रावधानों में छूट दे दी जाती है तथा पेटेंट कानूनों के तहत अनिवार्य लाइसेंस जारी किया जाता है तो गरीब और विकासशील देशों में भी वैक्सीन रफ्तार के साथ उत्पादित की जा सकती है तथा वैश्विक टीकाकरण को सर्वसुलभ बनाया जा सकता है। श्री शर्मा ने कहा कि आज की बैठक का मकसद दुनिया भर के जन स्वास्थ्य से सरोकार रखने वाले संगठनों को इस मसले पर एकजुट करना तथा ट्रिप्स में छूट दिए जाने और अनिवार्य लाइसेंस के जरिए अन्य दवा कंपनियों को भी दवा उत्पादन में आगे लाना है। उन्होंने कहा कि सरकारें अपने हिसाब से इस मसले पर अपना काम करती हैं, करेंगी भी, लेकिन बतौर नागरिक और संगठन हम सबका यह दायित्व है कि इस महामारी के समय में मानवता की रक्षा के लिए एकजुट होकर प्रयास करें।

इस क्रम में थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क के संस्थापक व साइबर मामलों के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाकुमार ने कहा कि सरकार अगर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाती है तो अगले 3 महीने में भारत के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। श्री कुमार ने कहा कि अभी केवल भारत बायोटेक और एसआईआई (सिरम इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया) को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस जारी किया गया है, इसे बढ़ाकर तीन चार कंपनियों को और दे दिया जाता है तो दो–तीन हफ्ते के भीतर ही भारत में वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उत्पादन की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यद्यपि भारत अगर ऐसा कदम उठाता है तो इसके खिलाफ कुछ कंपनियां अदालत का रुख कर सकती हैं, लेकिन पेटेंट कानून के क्लाज़ 82 और 84 में अनिवार्य लाइसेंस के लिए पहले से ही प्रावधान है। जिस तरह एचआईवी और एड्स के टीकों के दौरान भी बड़ी फार्मा कंपनियों ने विरोध किया था, लेकिन अंत में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, उसी तरह कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जरूरत है एकजुट होकर अनिवार्य लाइसेंस के लिए दबाव बनाया जाए तथा देश में अधिकाधिक संख्या में वैक्सीन का उत्पादन कर अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण किया जाए और यह लक्ष्य समय रहते हासिल किया जा सकता है। जिस तरह कोविशील्ड के लिए ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका को विश्वास में लेकर सिरम इंस्टीट्यूट उत्पादन कर रहा है, उसी तरह भारत सरकार को भी चाहिए कि भारत बायोटेक को एक न्यूनतम कमीशन लेकर अन्य फार्मा कंपनियों को अनिवार्य लाइसेंस जारी कर देना चाहिए।

बैठक के दौरान अनिलेश महाजन ने सुरक्षा के मुद्दे को रेखांकित करते हुए कहा कि आनन–फानन में लाइसेंस जारी कर देना कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है, ऐसे में किसी एक स्वरूप को लेकर बेतहाशा उत्पादन भी व्यर्थ का सौदा हो सकता है। श्री महाजन ने कहा कि हमें सावधानी बरतते हुए इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तकनीक का हस्तांतरण बड़ा ही संवेदनशील मामला है। अनिवार्य लाइसेंस जारी कर बेहतर परिणाम की आशा आशंकाओं से भरी हुई है। ट्रेड सीक्रेट का भी मामला है। इसलिए हमें केस टू केस अध्ययन करना पड़ेगा और समय सीमा के भीतर सभी को दवाई और वैक्सीन भी उपलब्ध करानी हमारी प्राथमिकता में है।

डॉ विनोद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत की जनता दुनिया भर की बड़ी फार्मा कंपनियों की महंगी वैक्सीन को वहन नहीं कर सकती, ऐसे में केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह आगे–आगे तथा अपनी सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग कर भारत की जनता को जल्द से जल्द राहत दिलाएं। उन्होंने कहा कि अभी दो महीने पहले तक हम दुनिया में वैक्सीन निर्माण तथा टीकाकरण को लेकर सबसे आगे थे। हमें उन बातों का भी अध्ययन करना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी खामी रह गई, जिसके चलते हम दवा और वैक्सीन के मोर्चे पर पिछड़ गए। इस काम में देश के गांव–गांव में फैले वेटेनरी अस्पतालों के कर्मियों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए।

स्वदेशी पत्रिका के संपादक अजय भारती ने अपनी बात रखते हुए सरकार की ओर से बरती जा रही लापरवाही को इंगित किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकारों ने जितनी तत्परता दिखाई थी, वैसे ही गंभीरता दूसरी लहर के दौरान नहीं दिखी। लोगों ने एक तरह से मान लिया कि अब कोरोना इस देश से धीरे–धीरे चला गया, यह ढीलापन भारी पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ गंभीर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सरकार ने कोविड–19 रिस्पांस टीमों के गठन का भी ऐलान किया है। हमें एक साथ खड़े होकर पॉजिटिविटी अनलिमिटेड के लिए आगे आना होगा तथा देश की आबादी को इस महामारी से बचाने के लिए टीका और दवाई के मुकम्मल इंतजाम के लिए दिन रात काम करना होगा।

स्वदेशी जागरण मंच की पहल पर आयोजित तथा लगभग 3 घंटे तक चली इस संगोष्ठी में विनोद जौहरी, अनीता पांडे, डॉ. फूलचंद, अनिल शर्मा, दीपक शर्मा, रजत महाजन, अवनीश, प्रो. संजीव कुमार, कमलजीत, विनय कपूर, रविंद्र नाथ दुबे, लिंगामूर्ति, मालिनी जी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

अंत में सरोज मित्र (सरोज दा) ने स्वदेशी जागरण मंच की ओर से सभी सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।❑❑

क्रांतिकारी विचारों का न्यासी, एक सन्यासी

उपनिवेशवादी दौर और मानसिकता के इतिहास लेखन में भले भारत को औघडों और सपेरों का देश कहकर मजाक उड़ाया जाता रहा हो, पर भारत को बगैर ऋषि और कृषि परंपरा के ज्ञान के समझना मुश्किल है। मिथकों, स्मृतियों, किवदंतियों के बाहर शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद की एक लंबी परंपरा है, जो भारतीय मूल्य अध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान की जड़ों को पुष्ट करते रहे हैं।

मौजूदा दौर युवा जुनून और उसकी तकनीक तथा प्रबंधकीय मेधा का है। भारतीय युवाओं की उपलब्धियां ग्लोबली सराही जा रही हैं, स्वीकारी जा रही हैं। बावजूद इसके देश के समय, समाज और परिवेश को बदलने में उनका कोई बड़ा क्रांतिकारी अवदान सामने नहीं आ पा रहा है। इसके उलट चिंता जताई जा रही है कि देश काल और अपने मूल्य बोध को लेकर नई पीढ़ी खासी लापरवाह हो रही है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के विशाल जीवन, अनुभव और अल्प आयु में किए गए बेशुमार कृतित्व के आलोक में एक अचरजकारी सवाल जरूर उठता है कि आखिर उन्होंने इतना सबकुछ और इतनी छोटी आयु मात्र 39 साल के जीवन खंड में वह कैसे कर सके थे, तो सहज ही उत्तर मिलता है कि यह हमारे प्रेम, सह अस्तित्व और आध्यात्मिक ऊर्जा के उन आदर्शों को दुनिया के सामने लाना था जो कि प्राचीन काल से हमारी विरासत रही है।

अगर हम भारत के गौरवशाली अतीत की ओर देखें और कुछ पवित्र आत्माओं को याद करें जिनके काम के चलते आज हम सुखपूर्वक हैं और जिन्होंने भारत के संदेश और दर्शन से दुनिया को रूबरू कराया, वह भी उस दौर में जब भारत बर्बर लोगों के सैकड़ों वर्ष की गुलामी के कारण अपना विश्वास और आत्मविश्वास लगभग खो दिया था तथा आर्थिक रूप से विपन्न हुई देश की जनता अपने पूर्वजों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भूल गई थी और हर छोटी बड़ी बात में पश्चिम का अंधानुकरण ही सर्वोत्तम मानक माना जाने लगा था। ठीक उसी समय एक विशुद्ध भारतीय आध्यात्मिकता से लबरेज खाटी सन्यासी अपने देश से सहस्त्रों मील दूर अकेला शब्द के माध्यम से बिना अपने देश के किसी प्रकार का समर्थन पाए भारत माता के सम्मान की रक्षा करता रहा और जो लोग वेदांत की शब्दावली से भी परिचित नहीं थे उन्हें वेदांत का ज्ञान देकर उन्हें अध्यात्म का अनुभव करा

यह भारत की महानता ही है कि लगभग एक हजार वर्षों की गुलामी और रक्तपात के बाद भी हमने दुनिया को यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश दिया और अभी भी इस विचार को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं।

– सतीश कुमार

रहा था। उस महान व्यक्तित्व का नाम था, परिचय था, *'क्रांतिकारी विचारों का न्यासी एक सन्यासी स्वामी विवेकानंद'।*

कर्म योगी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को हुआ था। भारत में इस दिन को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी जी को युवाओं में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। स्वामी जी ने अपने 39 साल के जीवन काल में जो काम किया वह इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों में दर्ज है, जो सदियों तक याद किया जाएगा। एक मौके पर स्वामी जी को याद करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, हाल की शदियों में भारत में पैदा हुए सबसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद हैं।

सन्यासी बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था और सभी उन्हें बचपन में नरेन कहकर बुलाते थे। बचपन में नटखट बच्चा होने के नाते नरेन अपनी पढ़ाई में, संगीत में, गायन में, जिम में, खेल में, बहुत बुद्धिमान थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने सभी रामायण और महाभारत की कहानियों को याद कर लिया था। अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमता के कारण वह स्कूल में सभी के बीच प्रसिद्ध थे। एक बार उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था कि वह जीवन में अपने जीवन को अद्वितीय बनाने के लिए बाध्य हैं। विद्यार्थी नरेंद्र कॉलेज के दिनों में ही भगवान के अस्तित्व के बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। वह हर संप्रदाय के विभिन्न धार्मिक नेताओं से उनकी जिज्ञासा के बारे में उनके विश्वास के बारे में पूछते रहते थे। नरेन की जिज्ञासा ने ही उन्हें दक्षिणेश्वर जाने के लिए प्रेरित किया, जहां एक महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस रहते थे। श्री रामकृष्ण ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया और कई सवालों और जिज्ञासाओं के बाद नरेन ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर

भारत की परिक्रमा करते हुए दिसंबर 1992 में वह कन्याकुमारी पहुंचे, जहां समुद्र में उन्होंने एक चट्टान देखी। स्वामी जी ने चट्टान पर जाकर 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक (3 दिनों तक) ध्यान किया।

लिया। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की गले के कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, तब नरेंद्र ने अपने सभी साथियों को संगठित किया तथा सबके साथ बेलूर के मठ में रहना शुरू कर दिया।

वर्ष 1891 में स्वामी जी मठ से बाहर निकले तथा ऐतिहासिक रूप से भारत भूमि की लंबाई और चौड़ाई का दो बार परिक्रमा किया। इस दौरान उन्हें अच्छे–बुरे सबका अनुभव हुआ। एक दिन उन्होंने किसी भिखारी के साथ खुद को पाया और फांके में रात गुजारी, तो दूसरे दिन क्रॉउन प्रिंस के अतिथि भी बनें। आम जनता के दुख–दर्द और अज्ञान ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। भारत की परिक्रमा करते हुए दिसंबर 1992 में वह कन्याकुमारी पहुंचे, जहां समुद्र में उन्होंने एक चट्टान देखी। स्वामी जी ने चट्टान पर जाकर 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक (3 दिनों तक) ध्यान किया। ध्यान में स्वामी जी ने भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य पर विचार किया और अपने जीवन के महान मिशन की खोज की। उन्होंने महसूस किया कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा है और शिकागो में होने वाले विश्व धर्म संसद में अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया।

शिकागो पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि विश्व धर्म संसद को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है तो वह हतप्रभ रह गए। यह जानकर कि धर्म संसद में प्रतिनिधि बनने के लिए एक वैध संदर्भ की आवश्यकता होती है, तो उन्हें और दुख पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कोई आश्रय न होने और पैसे के अभाव में घर–घर जाकर भीख मांगीं बहुधा उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। लेकिन वे अपने लक्ष्य से नहीं भटके। भगवान ने उनकी मदद की। उन्हें कुछ विदेशियों से मदद मिली और विश्व के धर्म संसद में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया।

शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद शुरू हुई। मानव जाति के 1200 मिलियन के प्रतिनिधि वहां मौजुद थे, जो अपने–अपने धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्हीं के बीच एक हिंदू सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद भी थे, जिन्होंने किसी विशेष संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, लेकिन वेदों का सार्वभौमिक दर्शन के साथ वे वहां मजबूती से डटे थे। अन्य सभी प्रतिनिधि अपने साथ लिखित भाषाण लेकर आए थे। लेकिन स्वामी जी के पास ऐसा कुछ नहीं था। जब स्वामी जी की बारी आई तो उन्होंने ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रणाम किया और पांच शब्दों सिस्टर एंड ब्रदर्स आफ अमेरिका (स्वामी विवेकानंद का पूरा काम 1907 प्रथम संस्करण) के संबोधन के साथ अपना भाषण शुरू किया। इसका असर ऐसा हुआ कि हाल में मौजूद 7000 लोग खड़े हुए और 2 मिनट से अधिक समय तक ताली बजाते रहे। दर्शकों द्वारा जबरदस्त तालिया इस कारण से थी कि स्वामी जी ने औपचारिकता की भावना से परे उन्हें सच्चे प्यार और स्नेह

के साथ संबोधित किया, जो किसी अन्य प्रतिनिधि ने नहीं किया था।

स्वामी जी ने कहा, मुझे ऐसे धर्म पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। उनका भाषण सुनने के बाद न्यूयार्क के हेराल्ड ने कहा, स्वामी जी की बातें प्रकाश पुंज की तरह थी, निंदा का एक शब्द भी उनके होठों से नहीं निकला। उन्हें सुनने के बाद हम महसूस करते हैं कि मिशनरियों को इनके सीखे सिखाएं हुए देश में भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। (तेजस्व आनंद 1940)

रातो रात एक युवा और अज्ञात सन्यासी धार्मिक दुनिया के एक उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। नाम और प्रसिद्धि उनके चरणों में थी, हालांकि उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था। उनकी बेचैनी और पीड़ा एक रात इतनी तीव्र हो गई कि वह फर्श पर लुढ़क गए और बोले हे मां मुझे नाम और प्रसिद्धि की क्या जरूरत है जबकि मेरी मातृभूमि अत्यंत गरीबी में डूबी रहती है। (तेज संधा 1940)

यह भारत की महानता ही है कि लगभग 1000 वर्षों की गुलामी और रक्तपात के बाद भी हमने दुनिया को यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश दिया और अभी भी इस विचार को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे गौरवशाली अतीत से स्पष्ट होता है कि हमने कभी किसी से युद्ध नहीं किया था और न ही किसी से युद्ध शुरू किया था, हम कभी भी खून बहाने के पक्षधर नहीं रहे है। हमारा उद्देश्य हमेशा शांति, सहानुभूति, प्रेम का ही रहा है। हमारे समावेशी दृष्टिकोण का ही नतीजा है कि अन्य धर्मों के भी लोग जब हमसे मदद मांगी हमने उन्हें शरण दी और सभी को शामिल करने के लिए हमारे दिलों में अभी भी अनंत स्थान है। हालांकि हर धर्म एक तरह से भाईचारे का प्रचार करता है लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं और मानते है कि पूरी दुनिया एक परिवार है।

"मुझे ऐसे धर्म पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। हम सभी धर्मों को सच मानते हैं।" उनका भाषण सुनने के बाद न्यूयार्क के हेराल्ड ने कहा, स्वामी जी की बातें प्रकाश पुंज की तरह थी, निंदा का एक शब्द भी उनके होठों से नहीं निकला।

समाज में जो लोग एक नेता की भूमिका निभाना चाहते हैं उनके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपको नौकरों का सेवक होना चाहिए और फिर आप एक सच्चे गुरु हो सकते हैं। उन्होंने मैसूर के महाराजा को लिखा कि जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं, वहीं दरअसल जीते है, बाकी लोग जीवित होकर के भी मरे जैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं का आगे आना बहुत जरूरी है, अगर युवाओं की प्रगति होगी तो राष्ट्र की भी प्रगति होगी। चरित्र निर्माण की शिक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जो अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें।

आप सबने सुना होगा 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव' अपनी माता और पिता को भगवान के रूप में देखें, लेकिन यह केवल स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने कहा 'दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव' यानी अज्ञानी और मूर्ख आदमी के साथ–साथ गरीब आदमी भी आपका भगवान हो। स्वामी जी ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्होंने न केवल भारतीय नेताओं, बल्कि विदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी प्रभावित किया। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, जिनके पास अपनी प्रयोगशाला से बाहर आने का समय नहीं था, वह भी स्वामी विवेकानंद से मिले और उनसे बहुत प्रभावित हुए। जान राकलर अमरीका के सबसे अमीर और बड़े उद्योगपति थे, उस समय स्वामी जी से मिलने के लिए बेताब थे और मिलने के बाद वे उनकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि अपनी सारी संपत्ति दान कर परोपकारी बन गए।

स्वामी विवेकानंद ने कहा दुनिया एक महान व्यामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमें अपने दैनिक जीवन में स्वामी जी की शिक्षाओं को जागृत और व्यावहारिक रूप से लागू करना चाहिए। एक साधारण सा बच्चा नरेन अपनी साधना और काम से एक असाधारण आदमी बन सकता है तो हम खुद को कितना मजबूत बनाते हैं यह पूरी तरह से हमारे खुद पर निर्भर करता है।

स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन केवल और केवल भारत माता के लिए था। यही कारण है कि रविंद्र नाथ टैगोर ने कहा, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन करें, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं है। हम मातृभूमि के लिए उनके प्यार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन्होंने दो बार भारत भ्रमण किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने देखा है कि भारत माता और जगदंबा में कोई भेद नहीं है। भारत माता की पूजा ही जगदंबा की पूजा है। भारत माता की सेवा का अर्थ है – भारत की संतानों की सेवा और हमारी दो ही समस्याएं हैं – दरिद्रता और अशिक्षा।

लेखक– नगर युवा प्रमुख, विवेकानंद केंद्र

संदर्भ: 1. https://www.panchjanya.com/Encyc/2020/11/12/Babasaheb-said-that-Swami-Vivekananda-is-the-greatest-man-born-in-India-in-recent-centuries.html

2. Tejasnanda (1940), A short biography of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Ramakrishna Math, Belur Math.

3. Response to welcome, Complete Works of Swami Vivekananda (Volume-1), 1907 (First Edition), Advaita Ashrama, Ramakrishna Math

4. Ranade, Eknath (1963), Rousing Call to Hindu Nation, Vivekananda Kendra Prakashan Trust.

5.https://www.thenationalistview.com/opinion-commentary/swami-vivekananda-words- of-wisdom-for-the-youth/

धार्मिक पाखंड का विरोधी रहा है नाथ पंथ

– अभिषेक प्रताप सिंह –

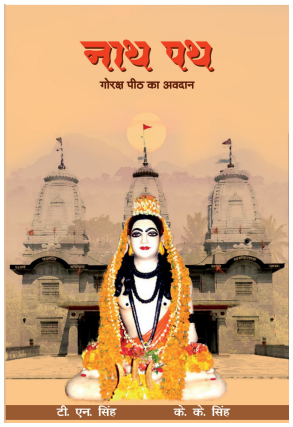

भारतीय समाज में धर्म और आध्यात्म का हमेशा से ही बहुत महत्त्व रहा है। विभिन्न प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से व्यक्ति और समाज विभिन्न प्रकार के धार्मिक ज्ञान, मूल्य और संस्कृति से परिचित होता रहा है। इस कड़ी में भारत में नाथ पंथ का भी बहुत महत्व है।

सनातन जीवन धारा में आदिकाल से नाथ पंथ और उनके मूल्य स्थापित रहे हैं। ऋग्वेद में नाथ शब्द का प्रयोग सृष्टि कर्ता, ज्ञाता और सृष्टि के निमित्त रूप में किया गया है। वे सभी लोग जो नाथ संप्रदाय के मूल्य और परंपरा को मानते हैं वह नाथ पंथ के अनुयाई कहलाते हैं। यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो शंकराचार्य के बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसा आध्यात्मिक युग प्रवर्तक कोई दूसरा नहीं दिखता। समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड और पोंगा पंथी के विरुद्ध महायोगी गोरखनाथ ने अपनी वाणी और आचरण से बहुत ही कठोर प्रहार किया। उनसे शुरू होकर और उसके बाद के गुरुओं के माध्यम से नाथ पंथ ने भक्ति को योग साधना और ध्यान की शक्ति में डुबकर एक नए भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया।

'नाथ पंथ गोरक्ष पीठ का अवदान' शीर्षक से हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में नाथ संप्रदाय के उदय, भारतीय समाज और लोकाचार, धर्म संस्कृति, मूल्य पद्धति, भक्ति भाव आदि विभिन्न विषयों पर उनके प्रभाव को रेखांकित किया गया है। आज जब भौतिकवाद और उपभोक्तावाद ने लोगों को निराश किया है तब लोगों के मन में अध्यात्मिक चेतना के बीज फूट रहे हैं। ऐसे में प्रस्तुत पुस्तक समाज को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस सराहनीय प्रयास के लिए प्रो. टी.एन सिंह जी और डॉ. के.के. सिंह की जितनी भी सराहना की जाए, वह कम है।

पुस्तक में नाथ संप्रदाय से जुड़े दर्शन और कार्यशैली को विस्तार से बताया गया है। नाथ योगियों का मानना है कि हठयोग की साधना में गुरु के ज्ञान की बहुत महत्ता है, और साधना मनुष्य को अज्ञानता से दूर ले जाती है। (पीपी. 28) साथ ही सनातन समाज को संगठित करने की दिशा में भी गहन चिंतन किया गया है। भारत भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 14 विद्वानों द्वारा दिए गए शोध पत्रों को इस पुस्तक में समाहित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा और आध्यात्मिक दर्शन को ध्यान में रखते हुए इसका संपादन किया गया है तथा उन सभी विषयों पर ज़ोर दिया गया है, जो हमारी नई शिक्षा नीति में भी शामिल है।

पुस्तक के माध्यम से बाबा गोरखनाथ जी के लोक जीवन पर प्रभाव, नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में गोरखनाथ मंदिर की ऐतिहासिकता और नाथ संप्रदाय की श्रद्धा केंद्र के रूप में उसकी भूमिका को भी रेंखाकित किया गया है। कहा गया है कि यह न सिर्फ एक श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है बल्कि यह भूमि उस तपोवन के समान है जिसमें आकर कोई भी भक्त भक्ति में लीन हो जाता है।

इसके अलावा एक लेख में 'बंगाली जनमानस और नाथ पंथ' के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। नाथ सम्प्रदाय और गोरक्ष परंपरा पर कई पांडु लिपियां बांग्ला भाषा में लिखी गयी हैं। साथ ही यह तथ्य की कोलकाता के कालीघाट मंदिर की स्थापना भी बाबा गोरखनाथ द्वारा ही हुई थी (पीपी. 113) और किस प्रकार से नाथ संप्रदाय की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बंगाली समाज में है उसकी भी विस्तार से चर्चा की गई।

पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि अब तक जो आम जनमानस नाथ संप्रदाय को आध्यात्मिक और भक्ति के केंद्र के रूप में देखता था उससे आगे बढ़कर समाज और जन कल्याण की दिशा में खास करके शिक्षा व्यवस्था और समाज सुधार के लिए नाथ संप्रदाय और उसके स्वामी ने जो योगदान दिया है उस पर विस्तार से चर्चा इस पुस्तक में की गई है, जो कहीं न कहीं इस पुस्तक को बहुत ही प्रासंगिक और पठनीय बनाता है।

लेखक देशबंधु कॉलेज, डीयू में अध्यापक हैं।

(पुस्तक नाम: नाथ पंथ: गोरक्ष पीठ का अवदान, प्रकाशक: रावत प्रेस, दिसंबर 2020, *लेखक*– **प्रो. टी.एन. सिंह और डॉ. के.के. सिंह**, मूल्य: 150 रू.)

रेमडेसिविर की कीमत पर लगाया जाए नियंत्रणः स्व.जा.मं

स्वदेशी जागरण मंच ने रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों के दामों पर अंकुश लगाने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि इन दवाइयों के दाम सरकारी संस्थानों और प्राइवेट अस्पतालों दोनों के लिए ही काफी अधिक हैं। इन दवाइयों की अधिक कीमतें देश में कोविड से लड़ाई को कमजोर कर रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि ऐसे माहौल में इस तरह का अनुचित लाभ बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, खासकर महामारी के वक्त। रेमडेसिविर और फेविरापवीर जैसी दवाइयों का उत्पादन मांग के मुकाबले काफी कम हो रहा है। रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन कीमतें 899 रुपये से लेकर 3490 रुपये तक पहुंच चुकी है। कॉर्पोरेट कंपनियों के लालच की वजह से गरीब जनता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इस कीमत को किसी भी हाल में कम किया जाना चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेटेंट अधिनियम के तहत कुछ उपाय करे और बाकी कंपनियों को भी ऐसी दवाइयां उत्पादित करने की अनुमति दे। ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके और मरीजों की जान बचाई जा सके।

आपको बता दें कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन फेफड़ों के इन्फेक्शन में कारगर माना जाता है। कोविड के समय फेफड़ों को ही सबसे अधिक दिक्कत आ रही है, इसलिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग काफी अधिक बढ़ गई है।

https://www.aajtak.in/india/politics/story/rss-organization-swadeshi-jagran-manch-on-the-price-of-ramdesivir-1248071-2021-05-02/

बिल गेट्स के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच का प्रदर्शन

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और पूर्व अमेरिकन बिजनेसमैन बिल गेट्स के (बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन) खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने मोर्चा खोल दिया है। गेट्स ने विश्वभर में कोरोना महामारी के कोहराम के बीच इससे बचाव के लिए बने वैक्सीन की बौद्धिक संपदा का अधिकार सुरक्षित रखने की पैरोकारी की थी, ताकि यह वैक्सीन आसानी से गरीब मुल्कों को उपलब्ध न हो सकें। उनके इस अमानवीय बयान की पूरे विश्व मे आलोचना हो रही है।

लोग कह रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति महामारी के बीच पूरे मानव समाज को बचाने में कारगर वैक्सीन को सभी लोगों को उपलब्ध कराने से रोकने की पैरोकारी कर सकता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना को लेकर बने वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से मुक्त करने का आग्रह वैश्विक समाज से किया है ताकि यह सभी को आसानी से सुलभ हो सकें। बौद्धिक संपदा अधिकार से वैक्सीन को बाहर रखने पर दूसरी वैक्सीन निर्माता कंपनियां भी इसका निर्माण कर सकेंगी।

वहीं इसका दाम भी काफी कम हो जाएगा। यह उन गरीब देशों के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में काफी लाभदायक होगा, जिन्हें वैक्सीन दूसरे देश से खरीदनी पड़ रही है। कम उत्पादन के कारण ये वैक्सीन मिल भी नहीं पा रहा है। और मिल रहा है तो काफी महंगा हैप् इसीलिए उन मुल्कों की आवाज बनकर यह आवाज उठाई है। वहीं दूसरी ओर बिल गेट्स के पूरे मानव समाज के ऊपर महज कुछ कंपनियों की पैरोकारी करने पर उन्हें भारत से बड़े विरोध का सामना करना पड़ा है।

गेट्स के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने देशभर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में ही बिल मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के खिलाफ 65 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक आर सुंदरम, राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय संगठन कश्मीरी लाल, सह संगठन सतीश कुमार व प्रांत संयोजक विकास चौधरी समेत अन्य विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ऑनलाइन विरोध अभियान भी चला।सभी ने डब्ल्यूटीओ में तय हुई संधि के आधार पर इस वक्त आई आपदा के मद्देनजर वैक्सीन पेटेंट मुफ्त करने की जोरदार मांग की।

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-swadeshi-jagran-manch-performance-against-microsoft-founder-bill-gatess-bill-milinda-gates-foundation-21622855.html

अन्य कंपनियों को भी मिले वैक्सीन बनाने का मौकाः डॉ. महाजन

आज भारत ही नहीं पूरा विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है। कोविड के कारण आज विकासशील देशों को अधिक समस्या आ रही है। जिन देशों की जनसंख्या अधिक है उन देशों को अधिक वैक्सीन की आवश्यकता है, परंतु आज वैक्सीन निर्माता कंपनी मुट्ठी भर है और आवश्यकता अधिक है। ऐसे में डब्ल्यूटीओ के देशों को कोविड वैक्सीन से पेटेंट व्यवस्था खत्म करना चाहिए। उक्त विचार स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने जबलपुर में आयोजित एक गोष्ठी में व्यक्त किए। स्वदेशी जागरण मंच विचार विभाग द्वारा आयोजित गोष्ठी में डॉ. महाजन ने कहा कि आज सस्ती दवाई एवं सस्ती वैक्सीन की आवश्यकता है। और यह तभी संभव है जब अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन और दवाई बनाने का मौका मिले। जो कंपनियां इस महामारी में भी मुनाफा कमानी चाहती है, उसका विरोध स्वदेशी जागरण मंच करेगा।

गोष्ठी में डॉ. देवेन्द्र कुमार, प्रो. रविन्द्र ब्रम्हे, एड. आशीष बरनार्ड, डॉ. पवन सचदेवा, डॉ. जितेन्द्र यादव, मोहन पंवार, डॉ. धर्मेन्द्र दुबे, रजनीश त्रिपाठी, अरविन्द्र गुप्ता (वकील), राहुल श्रीवास्तव, एड. प्रशांत त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

मानवता को बचाने के लिए वैक्सीन और दवा पेटेंट मुक्त होः स्व.जा.मं.

स्वदेशी जागरण मंच, जयपुर प्रान्त की वेबीनार को सम्बोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. धनपतराम अग्रवाल, (चार्टर्ड अकाउन्टेंट) ने कहा कि आज देश वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रहा है। इस निराशा के दौर में एक मात्रा आशा वैक्सिनेशन ही हैं। देश में लगभग 1.38 अरब जनसंख्या हैं और विश्व में लगभग 7.35 अरब जनसंख्या है। कोरोना महामारी से मानवता को बचाने के लिए हमें लगभग 14.70 अरब वैक्सीन चाहिए।

भारत सहित विश्व के 100 देश मांग कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से बचाव में काम आने वाली वैक्सीन व दवाई पैटेंट से पूर्ण रूप से मुक्त हो।

भारत बायोटेक की पूर्ण स्वदेशी को–वैक्सिन व सीरम इंस्टीटूयट व एस्ट्राज़नेका (यूके) के संयुक्त प्रयास से निर्मित कोविसिलड द्वारा भारत में अभी तक 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन के टीके लगाये जा चुके है।

आज न सिर्फ़ भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व में जब महामारी का प्रकोप विकराल रूप ले रहा हैं और प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो हमारे सामने सवाल हैं की हम क्या करे? मानवता को कैसे बचाए?

वर्तमान व्यवस्था में सभी कोरोना वैक्सीन व दवा निर्माता कम्पनियां पैटेंट क़ानून के प्रावधान के अंतर्गत आती हैं व उन्हें यह अधिकार प्राप्त हैं कि वो अपने शोध को अपनी इच्छा के विपरीत किसी को उसका उत्पादन न करने दें। पर जब आज सम्पूर्ण विश्व व मानवता संकट में हैं तो पेटेंट फ्री किया जाना चाहिए।

इस निर्णय को आगामी 8–9 जून को होने वाली डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत सरकार रखेगी। जिसकी हम भी लगातार माँग कर रहे हैं। आज अमेरिका इस अभियान में हमारे साथ खड़ा हैं। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में 165 देश हैं और सभी के सहमत होने पर ही कोरोना वैक्सीन व दवा पैटेंट मुक्त हो सकती है और टेक्नॉलजी ट्रांसफर की जा सकती हैं। स्वदेशी जागरण मंच अपील करता हैं कि हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध हो। इसके लिए हमें व विश्व को अपने पैटेंट क़ानून में लचीलापन लाना ही होगा जिससे मानवता बच सके, विश्व बच सके। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी ने भी विचार वयक्त किए।

वेबीनार में मंच के प्रान्त संयोजक देवेन्द्र भारद्वाज, सह प्रान्त संयोजक सुरेन्द्र लाल राठी और सुरेन्द्र नामा, प्रान्त संगठक मनोहर शरण सहित मंच अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

https://www.khaskhabar.com/local/rajasthan/jaipur-news/news-vaccine-and-medicine-to-be-patent-free-to-save-humanity—swadeshi-jagran-manch-news-hindi-1-478380-KKN.html

कोविड मुक्त विश्व हेतु स्वदेशी जागरण मंच सिक्किम की पहल

स्वदेशी जागरण मंच के सिक्किम राज्य ईकाई ने कोविड मुक्त विश्व बनाने के लिए कई सुझावों के साथ सार्थक पहल की है। स्वदेशी जागरण मंच सिक्किम के प्रांत संयोजक शिरीष खरे ने कहा कि अगर डब्ल्यूटीओ पेटेंट फ्री टीके हकीकत बन जाते हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बचाया जा सकता है। यहा तक कि सिक्किम की कुछ कंपनिया जैसे कि अल्केम, सिप्ला, इंटास, सन

फार्मा, टोरेंट, ज़ाइडस आदि भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत वैक्सीन और कोविड दवा बनाने में में सक्षम हो सकती हैं जो न केवल समय पर मनुष्यों को बचाएंगी बल्कि सिक्किम में रोजगार भी पैदा करेंगी।

एडवोकेट भूपेंद्र गिरि ने ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की, जो इस महीने के अंत से पहले विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत किया जाएगा। यह कोविड मुक्त विश्व के सपने को साकार करने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अब तक केवल 4 कंपनियां फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन के पास ही इसका एकाधिकार पेटेंट है, जिससे वे अरबों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के कई देशों द्वारा उनके टीके पूरे नहीं लगाए जा सकते हैं, इनके चलते टीकाकरण प्रक्रिया को धीमा हो गई है। जो कि स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी खराब है। एक बार जब वैक्सीन को प्रौद्योगिकी हस्तातरण के साथ पेटेंट मुक्त करने की अनुमति दी जाती है, तो स्थानीय उत्पादन के साथ भारत एक वर्ष के भीतर पूरी आबादी का टीकाकरण करने में सफल हो सकता है।

https://www.jagran.com/west-bengal/darjeeling-covid-free-world-mission-21635025.html

कोविड–19 टीके की कीमतों पर नियंत्रण करे सरकारः एसजेएम

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड–19 टीकों के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए जिन कीमतों की घोषणा की है वह ''बहुत ज्यादा'' है और केंद्र को टीकों की कीमतें और किफायती बनानी चाहिए।

एसजेएम ने यह भी मांग की कि और कंपनियों को टीकों का निर्माण करने दिया जाए ताकि टीके उपलब्ध रहें और किफायती दामों पर मिलें।

कोविशील्ड का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है और उसने केंद्र के लिए इसकी कीमत 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये तय की है।

हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने कोवैक्सीन टीके की कीमत केंद्र के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 600 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 1,200 रुपये तय की है। दोनों कोविड–19 टीकों की दो खुराक दी जाती हैं।

राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए कंपनियों द्वारा घोषित कीमतों को ''अत्यधिक'' बताते हुए एसजेएम के सह–संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि इससे देश में टीकाकरण अभियान चलाने पर असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में ''हद से ज्यादा'' मुनाफा कमाना अनुचित है। उन्होंने कहा, ''केंद्र को जनता के लिए टीकों को किफायती बनाने के लिए दोनों टीकों की कीमतों पर लगाम लगानी चाहिए तथा और दवा कंपनियों को टीकों के निर्माण की अनुमति देनी चाहिए ताकि इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।''

महाजन ने कहा कि देश को अपनी कम से कम 70 प्रतिशत आबादी को टीका लगाने के लिए करीब 195 करोड़ टीकों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अकेले दो कंपनियां इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती।

महाजन ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर जैसी अन्य दवाइयों का उत्पादन बढ़ाने और कीमतों पर लगाम लगाने की भी पैरवी की।

https://navbharattimes.indiatimes.com/india/state-governments-declare-kovid-19-vaccine-prices-for-private-hospitals-too-high-sjm/articleshow/82355685.cms

स्पूतनिक वैक्सीन के लोकल प्रोडक्शन की मंजूरी दे केंद्रः स्वजामं

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने केंद्र से रूसी स्पूतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान करने को कहा है। साथ ही कोविड–19 दवाओं और टीकों की कीमतों की एक सीमा लागू करने पर जोर दिया और कहा कि जिसमें प्रोडक्शन बेस्ड फॉर्मूला की लागत को ध्यान में रखा जाए। दरअसल, एसजेएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला दिया और सस्ती कीमत पर दवाइयां और टीके उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता बताई है।

जैसा कि 18 से अधिक उम्र का टीकाकरण कुछ राज्यों में 1 मई से शुरू हो गया है। वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए श्रड ने वैक्सीन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त देश को कम से कम 70 प्रतिशत आबादी को कवर करने के लिए लगभग 195 करोड़ खुराक की आवश्यकता है।

फार्मा इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2020 से कोविड–19 के मामलों में कमी के कारण रेमडेसिविर की मांग कम हो गई थी, जिससे जनवरी और फरवरी में कंपनियों ने इसका उत्पादन कम कर दिया या बंद कर दिया। इस कारण इसकी सप्लाई में कमी आई है। फार्मा इंडस्ट्री के एक सूत्र ने कहा कि दवा कंपनियां एक साथ इतनी भारी मात्रा में रेमडेसिविर बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं क्योंकि इस दवा की अवधि 6 से 8 महीने होती है। एसजेएम ने सरकार से कहा है कि वह पेटेंट एक्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करें और इन दवाओं के उत्पादन के लिए अधिक कंपनियों को अनुमति दें। ❑❑

https://www.tv9hindi.com/india/approval-for-swadeshi-jagran-manch-on-russian-sputnik-v-vaccine-center-approved-for-local-production-639770.html

स्वदेशी गतिविधियां

भूमि सुपोषण अभियान

सचित्र झलक

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 मई 2021
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

पेटेंट मुक्त टीकों और दवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच (यूएवीएम)

सचित्र झलक

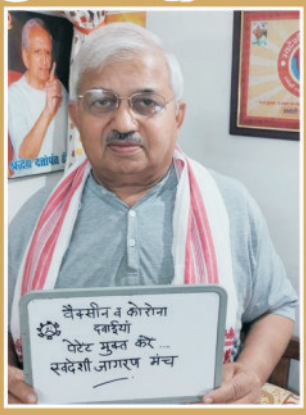

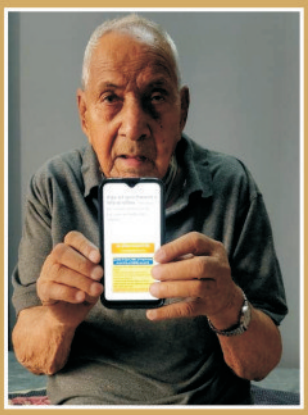

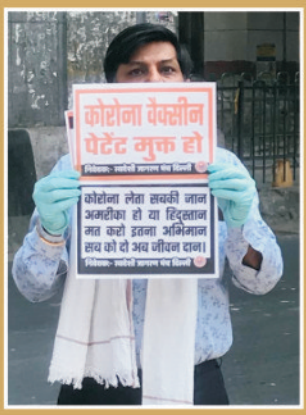

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती